

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 दिसम्बर 2012—अग्रहायण 23, शक 1934

भाग ४

विषय-सूची

- | | | | |
|-----|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) | (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) | (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) | (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम् तल, मेट्रो प्लाजा, ई-5, अरेरा कालोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल—462016

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2012

क्र. 3359-मप्रविनिआ-2012.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181(2) (एच) तथा धारा 181(2) (जेडडी) सहपठित धाराओं 36 तथा 61 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, एतद्द्वारा निम्न विनियम बनाता है :—

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तों)
(पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2012 [आरजी-28 (II), वर्ष 2012]

प्रस्तावना

जबकि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2005 (जी-28, वर्ष 2005) की प्रथम नियंत्रण अवधि का समापन 31 मार्च, 2009 को हुआ। आयोग द्वारा द्वितीय बहुवर्षीय टैरिफ नियंत्रण अवधि सिद्धांत तथा क्रियाविधियों को वित्तीय वर्ष 2009-10 से वित्तीय वर्ष 2011-12 तक विनिर्दिष्ट किये जाने के संबंध में प्रथम पुनरीक्षण [आरजी-28(1), वर्ष 2009] दिनांक 30 अप्रैल, 2009 को दिनांक 8 मई, 2009, को अधिसूचित किया गया। आयोग द्वारा चतुर्थ संशोधन दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा इस नियंत्रण अवधि को माह मार्च, 2013 तक बढ़ा दिया गया। अतएव आगामी नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु, विद्युत पारेषण की निबंधन तथा शर्तों विनिर्दिष्ट किये जाने हेतु ये विनियम अधिसूचित किये जा रहे हैं।

अध्याय – एक

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ : 1.1 ये विनियम "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तों) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2012 [आरजी-28(II), वर्ष 2012]" कहलायेंगे।
- 1.2 इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा।
- 1.3 ये विनियम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के बाद दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से लागू होंगे तथा जब तक आयोग द्वारा इनकी पूर्व में किसी प्रकार की समीक्षा न की जाए अथवा समयावधि में विस्तार न किया जाए, ये विनियम दिनांक 31.3.2016 तक लागू रहेंगे।

2. विस्तार तथा लागू किये जाने की सीमा :

- 2.1 ये विनियम विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अन्तर्गत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों/खुली पहुंच उपभोक्ता के टैरिफ अवधारण संबंधी समस्त प्रकरणों पर लागू होंगे जहां पारेषण प्रणाली की क्षमता का आवंटन मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्य प्रदेश राज्य में खुली पहुंच प्रणाली की निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2005, यथासंशोधित के अन्तर्गत किया गया हो, परन्तु उन पर लागू न होंगे जहां टैरिफ का अवधारण अधिनियम की धारा 63 के उपबन्धों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसार किया गया हो ।

3. प्रचालन के मानदण्डों का परिसीमन उच्चस्थ होना :

- 3.1 शंकाओं के निवारण के उद्देश्य से यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रचालन के मानदण्डों का परिसीमन सर्वोच्च है तथा यह पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों तथा हितग्राहियों को प्रोन्नत मानदण्डों पर सहमति से प्रतिबंधित नहीं करेगा तथा इस प्रकार से सहमत किये गये प्रोन्नत मानदण्ड टैरिफ अवधारण हेतु प्रयोज्य होंगे ।

4. परिभाषाएं :

- 4.1 इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो -

- (ए) "अधिनियम (Act) " से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003);
- (बी) "लेखांकन विवरण-पत्र (Accounting Statement)" से अभिप्रेत है प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु निम्नलिखित विवरण-पत्र, अर्थात:
- (i) कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग I में अन्तर्विष्ट प्ररूप (Form) फार्म के अनुसार तैयार किया गया तुलन-पत्र (बैलेंस शीट); मय संबंधित टिप्पणियों तथा ऐसे अन्य सहायक विवरण-पत्रों तथा जानकारी के, जैसा कि वे आयोग द्वारा समय-समय पर आदेशित किये जाए;
- (ii) कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग II की अर्हताओं के परिपालन में लाभ-हानि लेखा;

- (iii) इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया के रोकड़-प्रवाह विवरण-पत्र (कैश-फ्लो स्टेटमेन्ट) (एएस-3) के लेखांकन मानक के अनुसार तैयार किया गया रोकड़ प्रवाह विवरण-पत्र;
- (iv) अनुज्ञप्तिधारी के वैधानिक अंकेक्षक(ी) का प्रतिवेदन;
- (v) संचालकों का प्रतिवेदन तथा लेखांकन नीतियां;
- (vi) केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(डी) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किये गये लागत अभिलेख, यदि कोई हों;
- (सी) “अतिरिक्त पूंजीकरण (Additional Capitalization)” से अभिप्रेत है वास्तविक रूप से किया गया पूंजीगत व्यय अथवा जिसे परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से व्यय किया जाना प्रक्षेपित किया गया है तथा आयोग द्वारा युक्तियुक्त परीक्षण उपरान्त विनियम 18 के उपबन्धों के अध्यक्षीन स्वीकार किया गया है;
- (डी) “आवेदक (Applicant)” से अभिप्रेत है एक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी जिसके द्वारा इन विनियमों के अनुसार टैरिफ अवधारण हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है तथा इसमें सम्मिलित है एक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी जिसका टैरिफ, आयोग द्वारा स्वविवेक याचिका अथवा किसी अभिरुचि रखने वाले व्यक्ति अथवा प्रभावित हितग्राही की याचिका के माध्यम से समीक्षा के अध्यक्षीन है;
- (ई) “अंकेक्षक (Auditor)” से अभिप्रेत है कम्पनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1, वर्ष 1956) की धारा 224, 233(बी) तथा 619 के उपबन्धों अथवा फिलहाल लागू अन्य किसी प्रभावशील कानून के अंतर्गत पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियुक्त किया गया कोई अंकेक्षक;
- (एफ) “उपलब्धता (Availability)” का किसी पारेषण प्रणाली के संबंध में किसी प्रदत्त समय हेतु, से अभिप्रेत है उक्त अवधि में घंटों में समय जिस हेतु पारेषण प्रणाली उसके द्वारा घोषित वोल्टेज पर विद्युत पारेषण उसके वितरण बिन्दु तक ले जाने में सक्षम है तथा इसे प्रदत्त समय हेतु कुल घंटों के प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जाएगा;

- (जी) "हितग्राही (Beneficiary)" से अभिप्रेत है दीर्घ-अवधि, मध्यम-अवधि अथवा लघु-अवधि के पारेषण उपभोक्ता जिनकी विद्युत-दर (टैरिफ) का अवधारण इन विनियमों के अंतर्गत किया जा रहा है;
- (एच) "कानून में परिवर्तन (Change in law)" से अभिप्रेत है निम्न घटनाओं में से किसी भी एक घटना का पाया जाना :
- (i) किसी भी कानून का अधिनियमन, इसको प्रभावशील किया जाना, इसका प्रवर्तित होना, संशोधित किया जाना, इसमें संपरिवर्तन किया जाना अथवा निरसन किया जाना; अथवा
- (ii) किसी सक्षम न्यायालय, न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) अथवा भारत शासन का अनुदेश जो ऐसी व्याख्या हेतु कानून के अन्तर्गत अन्तिम प्राधिकार है, द्वारा किसी भी कानून की व्याख्या में परिवर्तन किया जाना; अथवा
- (iii) किसी परियोजना हेतु, किसी सम्मति में, अनुमोदन में अथवा उपलब्ध कराई गई अथवा प्राप्त की गई अनुज्ञप्ति में किसी सक्षम वैधानिक प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई परिवर्तन;
- (आई) "आयोग (Commission)" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission) ;
- (जे) "पृथक्कृत तिथि (Cut off date)" में अभिप्रेत है, 31 मार्च की तिथि जो परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन वर्ष के दो वर्षों के उपरांत बंद होती है तथा ऐसे प्रकरण में, जहां परियोजना को वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत किसी वर्ष के अन्तिम त्रैमास में घोषित किया जाता है, वहां पृथक्कृत तिथि, वाणिज्यिक प्रचालन वर्ष के तीन वर्षों के बाद, उक्त वर्ष की 31 मार्च होगी;
- (के) "वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (Date of Commercial Operation-COD)" का किसी पारेषण प्रणाली के संबंध में अभिप्रेत है, 00.00 बजे से पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा घोषित की गई तिथि जिसके अन्तर्गत पारेषण प्रणाली का कोई एक तत्व, एक सफल प्रभारण (Charging) तथा परीक्षण प्रचालन के उपरान्त उसके निर्धारित वोल्टेज स्तर पर नियमित सेवा में कार्यरत हैं :

परन्तु यह तिथि किसी कलेण्डर माह की प्रथम तिथि होगी तथा तत्त्व हेतु पारेषण प्रभार भुगतान योग्य होगा तथा इसकी उपलब्धता को उक्त तिथि से लेखांकित किया जाएगा :

परन्तु आगे यह भी कि यदि पारेषण प्रणाली का कोई एक तत्व नियमित सेवा हेतु तैयार है परन्तु जिसे सेवा प्रदाय हेतु प्रतिबाधित किया जाता है जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, उसके प्रदायकों अथवा ठेकेदारों के कारण नहीं है तो ऐसी दशा में आयोग उक्त तत्व के नियमित सेवा में आने से पूर्व की किसी तिथि को वाणिज्यिक तिथि अनुमोदित कर सकेगा :

- (एल) “विद्यमान परियोजना (Existing Project)” से अभिप्रेत है दिनांक 1.4.2013 से पूर्व किसी वाणिज्यिक प्रचालन तिथि को घोषित की गई परियोजना;
- (एम) “किया गया व्यय (Expenditure incurred)” से अभिप्रेत है कोई निधि, भले वह पूंजी (Equity) अथवा ऋण (debt) दोनों हों, जिसे उपयोगी परिसम्पत्तियों के सृजन अथवा अधिप्राप्ति हेतु, वास्तविक रूप से रोकड़ अथवा रोकड़ समतुल्य भुगतान किया गया है तथा इनमें वे वचनबद्धताएं अथवा दायित्व शामिल न होंगे, जिन हेतु कोई राशि मुक्त नहीं की गई है;
- (एन) “दीर्घ-अवधि पारेषण क्रेता (Long-Term Transmission Customer)” से अभिप्रेत है एक व्यक्ति जो पारेषण प्रभारों के भुगतान के प्राधिकार द्वारा अन्तर्राज्यीय/राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली के संबंध में तीन वर्षों की अधिक अवधि से एक दीर्घ-अवधि ग्रहणाधिकार रखता है तथा एक वितरण अनुज्ञप्तिधारी अनिवार्य रूप से एक दीर्घ-अवधि प्रयोक्ता होगा जिस हेतु उसे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से दीर्घ-अवधि अनुबंध निष्पादित करना होगा;
- (ओ) “मध्यम-अवधि पारेषण क्रेता (Medium-Term Transmission Customer)” से अभिप्रेत है एक व्यक्ति जो पारेषण प्रभारों के भुगतान के आधार पर अन्तर्राज्यीय/राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली के संबंध में, तीन माह से अधिक तथा 3 वर्ष से अनाधिक अवधि तक ग्रहणाधिकार रखता हो;
- (पी) “अधिकारी (Officer)” से अभिप्रेत है, आयोग का कोई अधिकारी;

- (क्यू) "प्रचालन तथा संधारण व्यय (Operation & Maintenance Expenses - O & M Expenses)" से अभिप्रेत है परियोजना अथवा उसके किसी अंश पर के प्रचालन तथा संधारण पर किया गया कोई व्यय तथा इसमें शामिल होंगे जनशक्ति, मरम्मत, कल-पुर्जो, उपभोग्य वस्तुओं, बीमा तथा उपरिव्यय (Overheads) पर किये गये व्यय;
- (आर) "मूल परियोजना लागत (Original Project Cost)" से अभिप्रेत है पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पृथक्कृत दिनांक तक परियोजना के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत किया गया पूंजीगत व्यय, जैसा कि इसे आयोग द्वारा स्वीकार किया गया हो;
- (एस) "परियोजना (Project)" से अभिप्रेत है पारेषण प्रणाली;
- (टी) "निर्धारित वोल्टेज (Rated Voltage)" से अभिप्रेत है विनिर्माता द्वारा रूपांकित की गई वोल्टेज जिस पर पारेषण प्रणाली प्रचालन हेतु रूपांकित की गई है अथवा ऐसी निम्न वोल्टेज जिस पर पारेषण लाईन को तत्समय दीर्घ-अवधि पारेषण क्रेताओं से परामर्श कर, प्रभारित किया गया हो;
- (यू) "सचिव" से अभिप्रेत है आयोग के सचिव;
- (वी) "लघु-अवधि पारेषण क्रेता (Short-Term Transmission Customer)" किसी पारेषण प्रणाली के प्रयोग के संदर्भ में अभिप्रेत है एक व्यक्ति, जो पारेषण प्रभारों के भुगतान के प्राधिकार द्वारा अन्तर्राज्यीय/राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली के संबंध में तीन माह की लघु-अवधि हेतु ग्रहणाधिकार रखता हो;
- (डब्ल्यू) "विद्युत-दर या टैरिफ (Tariff)" से अभिप्रेत है विद्युत पारेषण हेतु प्रभारों की अनुसूची के साथ-साथ उसकी निबंधन एवं शर्तें;
- (एक्स) "टैरिफ अवधि (Tariff Period)" से अभिप्रेत है इन विनियमों के अंतर्गत वह अवधि जिस हेतु आयोग द्वारा विद्युत-दर (टैरिफ) अवधारित की जाती है;
- (वाई) "पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (Transmission Licensee)" से अभिप्रेत है एक अनुज्ञप्तिधारी जिसे राज्यान्तरिक पारेषण तन्तुपथ (Transmission Lines) को स्थापित किये जाने अथवा उसको प्रचालित किये जाने हेतु प्राधिकृत किया गया है;

- (जेड) "पारेषण सेवा अनुबंध (Transmission Service Agreement)" से अभिप्रेत है कोई अनुबंध, संविदा, परस्पर समझौते का ज्ञापन-पत्र (Memorandum of Understanding) अथवा ऐसी व्यवस्थाएं (Covenants) जो पारेषण अनुज्ञापिधारी तथा पारेषण प्रणाली के दीर्घ-अवधि क्रेता(ओं) के मध्य निष्पादित की गई हों;
- (एए) "पारेषण प्रणाली (Transmission System)" से अभिप्रेत है कतिपय तन्तुपथ (लाईन) जो उपकेन्द्रों से संबद्ध या असंबद्ध है अथवा अन्तर्संयोजित तन्तुपथों के समूह के साथ संबद्ध या असंबद्ध उपकेन्द्र तथा इस परिभाषा में पारेषण लाईनों एवं उपकेन्द्रों से संबद्ध उपकरण भी शामिल हैं;
- (बीबी) "पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक (Transmission System Availability Factor)" से अभिप्रेत है पारेषण प्रणाली की उपलब्धता जैसा कि इसे राज्य भार पारेषण केन्द्र द्वारा प्रमाणित किया गया हो;
- (सीसी) "उपयोगी जीवनकाल (Useful Life)" किसी पारेषण प्रणाली की इकाई के इसकी वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के संबंध में अभिप्रेत है किसी उपकेन्द्र हेतु 25 वर्ष तथा पारेषण तन्तुपथ हेतु 35 वर्ष का जीवनकाल;
- (डीडी) "वर्ष (Year)" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष,

4.2 इस विनियम में प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां जो यहां परिभाषित नहीं की गई हैं, वहीं अर्थ रखेंगी जैसा कि इनके बारे में अधिनियम में दर्शाया गया है ।

5. टैरिफ का अवधारण (Determination of Tariff) :

5.1 आयोग निम्न प्रकरणों में अधिनियम की धारा 62 सहपठित धारा 86 तथा धारा 36 के अंतर्गत, टैरिफ तथा प्रभारों का निर्धारण मय उनकी शर्तों एवं निबंधन को सम्मिलित करते हुए करेगा:

- (i) राज्यान्तरिक विद्युत पारेषण संबंधी;
- (ii) अन्तर्वर्ती पारेषण सुविधाओं के उपयोगार्थ दरें एवं प्रभार, जिन पर अनुज्ञापिधारियों द्वारा परस्पर समझौता नहीं किया जा सकता हो ।

5.2 अधिनियम के भाग 10 में चाहे कुछ भी निहित क्यों न हो, विद्युत के किसी अन्तर्राज्यीय पारेषण हेतु टैरिफ अवधारण जिसमें दो राज्यों के क्षेत्र सन्निहित हों, ऐसे पारेषण के इच्छुक

पक्षकारों द्वारा आयोग को आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर, आयोग द्वारा टैरिफ का अवधारण ऐसे प्रकरणों में किया जा सकेगा जहां ऐसी प्रणाली के उपयोग का उद्देश्य पूर्णरूपेण अनुज्ञप्तिधारी के हित में हो तथा यह भी कि ऐसा अनुज्ञप्तिधारी आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता हो ।

6. टैरिफ अवधारण के सिद्धांत (Principles of Tariff Determination) :

- 6.1 आयोग द्वारा इन विनियमों के अंतर्गत टैरिफ अवधारण की निबंधन एवं शर्तों को विनिर्दिष्ट करते समय अधिनियम की धारा 61 में निहित सिद्धान्तों के मार्गदर्शन का अनुसरण किया गया है।
- 6.2 इस विनियम का उद्देश्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को सुस्थिर वाणिज्यिक सिद्धान्तों पर प्रचालन किये जाने हेतु प्रोत्साहित करना है । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को उनके लेखांकन विवरण पत्र, कंपनी कानून की अर्हता के अनुसार तैयार करने होंगे जो उसे आयोग को विनियम 9.1 में दिये गये विवरणानुसार नियमित रूप से प्रस्तुत करने होंगे । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञेय किया गया प्रोत्साहन, आयोग द्वारा निर्धारित किये गये प्रचालन मानदण्डों के विनिर्दिष्ट स्तरों के अनुसार, किये गये निष्पादन पर निर्भर करेगा। परिसम्पत्ति आधार में सम्मिलित किये जाने हेतु केवल युक्तियुक्त पूंजीगत व्यय को ही मान्य किया जाएगा।
- 6.3 इन विनियमों में अपनाए गये बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, वाणिज्यिक सिद्धान्तों को अपनाया जाना, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की कार्यकुशल कार्यप्रणाली को बढ़ावा देना तथा हितग्राहियों के हितों को संरक्षण प्रदान करना है । टैरिफ अवधि हेतु, प्रचालन तथा लागत मानदण्ड, पूर्व अवधि में किये गये निष्पादनों के आधार पर विनिर्दिष्ट किये गये हैं । स्वीकार्य विद्युत दरों (टैरिफ) का अवधारण इन मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों से बेहतर प्रदर्शन दर्शाये जाने पर बचत का एक भाग पुरस्कार के रूप में स्वयं के पास रखने की अनुमति प्रदान की गई है । इसके द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से दक्ष निष्पादन तथा संसाधनों के मितव्ययी उपयोग को प्रोत्साहित किये जाने की अपेक्षा की जाती है ।
- 6.4 केवल ऐसे पूंजी-निवेश तथा पूंजीगत व्यय, जो इस संबंध में आयोग द्वारा विरचित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होंगे, को ही टैरिफ के माध्यम से वसूली किये जाने की अनुमति

प्रदान की जाएगी । इस विधि के उपयोग द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से युक्तियुक्त पूंजी निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जा सकेगा ।

7. टैरिफ अवधारण हेतु आवेदन प्रस्तुति की प्रक्रिया (Procedure for making an application for Determination of Tariff) :

7.1 टैरिफ अवधारण हेतु आवेदन—पत्र इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार तथा विनिर्दिष्ट किये गये शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जाएगा ।

7.2 आयोग को सदैव पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की किसी स्वविवेक याचिका द्वारा अथवा किसी अभिरूचि रखने वाले या प्रभावित पक्षकार द्वारा दायर याचिका पर टैरिफ तथा उसके निबन्धन तथा शर्तों के अवधारण का अधिकार होगा तथा उसके द्वारा ऐसे अवधारण की प्रक्रिया को, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, पहल की जा सकेगी :

परन्तु ऐसे टैरिफ के साथ—साथ उससे संबंधित निबन्धन तथा शर्तों के अवधारण संबंधी कार्यवाही को कार्य संचालन विनियमों, यथासंशोधित, में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार क्रियान्वित किया जाएगा ।

7.3 आवेदक, आयोग को आवेदन के एक भाग के रूप में ऐसे प्ररूपों में, जैसा कि वे आयोग द्वारा निर्दिष्ट किये जाएं, हार्ड तथा सॉफ्ट प्रतियों में जानकारी प्रस्तुत करेगा ।

7.4 आयोग अथवा सचिव अथवा आयोग द्वारा इस प्रयोज्य से नामोद्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा आवेदन के सूक्ष्म परीक्षण उपरांत आवेदक को कतिपय अतिरिक्त जानकारी अथवा विवरण अथवा अभिलेख जो आवेदन को प्रक्रियाबद्ध किये जाने के प्रयोजन से अनिवार्य समझे जाएं, प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जा सकेगा ।

7.5 समस्त वांछित जानकारी, विवरण एवं अभिलेख जो अर्हताओं के परिपालनार्थ आवश्यक हों, के सम्पूर्ण आवेदन के साथ प्राप्त होने की दशा में ही आवेदन को प्राप्त किया गया माना जाएगा तथा आयोग अथवा सचिव अथवा इस प्रयोज्य से नामोद्दिष्ट अधिकारी आवेदन को संक्षिप्त रूप में एवं विधि अनुसार आवेदक को सूचित करेंगे कि आवेदन प्रकाशन हेतु तैयार है, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए {कृपया देखें मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कम्पनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण और इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 समय—समय पर यथासंशोधित } । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी

द्वारा आयोग को प्रस्तुत की गई अपनी याचिका के समस्त विवरण आयोग द्वारा उसे स्वीकार किये जाने की तिथि से तीन कार्यकारी दिवस के अंदर अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करने होंगे।

- 7.6 आवेदक आयोग को ऐसी समस्त पुस्तकें तथा अभिलेख (अथवा उनकी प्रमाणित सत्य-प्रतिलिपियां) के साथ लेखांकन विवरण-पत्र, प्रचालन तथा लागत आंकड़े जैसा कि वे आयोग द्वारा टैरिफ के अवधारण हेतु चाहे जाएं, प्रस्तुत करेगा।
- 7.7 आयोग, यदि उचित समझे, तो वह किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को ऐसी जानकारी जो आवेदक ने आयोग को प्रस्तुत की है, मय ऐसी पुस्तकों तथा अभिलेखों की संक्षेपिका के (अथवा उनकी प्रमाणित सत्य-प्रतिलिपियों के) उपलब्ध करा सकेगा :

परन्तु आयोग कतिपय आदेश जारी कर, यह निर्देशित कर सकेगा कि आयोग द्वारा संधारित की जाने वाली ऐसी जानकारी, अभिलेख व पत्र/सामग्रियां गोपनीय अथवा विशेषाधिकारयुक्त होगी जो निरीक्षण हेतु अथवा प्रमाणित प्रतिलिपियों के रूप में उपलब्ध नहीं कराई जा सकेंगी तथा आयोग यह भी निर्देशित कर सकेगा कि ऐसे अभिलेख, पत्र अथवा सामग्री को किसी ऐसी रीति द्वारा उपयोग न किया जा सकेगा, सिवाय जैसा कि आयोग द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किया जाए।

8. टैरिफ अवधारण तथा उसके सत्यापन की रीति (Methodology for Determination of Tariff and True up) :

- 8.1 आयोग समय-समय पर पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की टैरिफ अवधियों का निर्धारण करेगा। टैरिफ अवधारण के सिद्धान्त टैरिफ अवधि के दौरान प्रयोज्य होंगे। इन विनियमों के अन्तर्गत, टैरिफ अवधारण के मार्गदर्शी सिद्धान्त इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तिथि से माह मार्च, 2016 की अवधि तक वैध रहेंगे।
- 8.2 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हेतु टैरिफ का अवधारण अनुज्ञप्तिधारी की सम्पूर्ण टैरिफ प्रणाली हेतु किया जाएगा।
- 8.3 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा टैरिफ अवधि के आरंभ में एक याचिका दायर की जाएगी। आयोग द्वारा टैरिफ तथा उसका सत्यापन, जिस हेतु यह अनुरोध किया जा रहा है, के सूक्ष्म परीक्षण की समीक्षा पूंजीगत व्यय तथा वर्ष के दौरान किये गये अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के आधार पर

की जाएगी । तथापि, इस प्रकार के सत्यापन में किसी प्रकार के असामान्य तथा अनियंत्रणीय अन्तर पर आयोग द्वारा अपने स्वविवेक अनुसार विचार किया जा सकेगा ।

- 8.4 यदि अद्यतन रूप से वसूल किये गये टैरिफ की राशि सत्यापन उपरान्त किये गये अवधारित टैरिफ से अधिक हो तो ऐसी दशा में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दीर्घ-अवधि पारेषण हितग्राहियों को अधिक वसूल की गई राशि को भारतीय स्टेट बैंक की तत्संबंधी वर्ष हेतु दिनांक 1 अप्रैल को लागू आधार दर में 3.5 प्रतिशत जोड़कर साधारण ब्याज दर पर प्रत्यर्पण (Refund) किया जाएगा । इसी प्रकार, ऐसे प्रकरण में जहां वसूल किया गया टैरिफ सत्यापन उपरान्त अवधारित टैरिफ राशि से कम हो तो ऐसी दशा में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी दीर्घ-अवधि पारेषण हितग्राहियों से कम वसूल की गई राशि की वसूली तत्संबंधी वर्ष हेतु दिनांक 1 अप्रैल को लागू भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर में 3.5 प्रतिशत जोड़कर साधारण ब्याज के साथ करेगा जो आयोग द्वारा सत्यापन याचिका दायर किये जाने संबंधी विनिर्दिष्ट की गई समय-सीमा का अनुसरण किये जाने के अध्यक्षीन होगा। ऐसे प्रकरण में जहां यह पाया गया हो कि सत्यापन याचिका का दायर किया जाना पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गये विलंब के कारण है तो कम की गई वसूली राशि पर ब्याज देय न होगा ।
- 8.5 टैरिफ तथा सत्यापन याचिका की प्रस्तुति हार्ड तथा सॉफ्ट प्रतिलिपि में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी तथा उत्पादन कम्पनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण और इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004, समय-समय पर यथासंशोधित अथवा संबंधित विनियमों की अधिसूचना तिथि से तीस दिवस के भीतर, इनमें से जो भी बाद में घटित हो, में विनिर्दिष्ट अनुसार तथा निर्धारित प्ररूपों में प्रतिवर्ष 15 नवंबर तक की जाएगी ।
9. **वार्षिक लेखे, प्रतिवेदनों आदि तैयार करना तथा उनका प्रस्तुतिकरण (Preparation and submission of Annual Accounts, Reports) :**
- 9.1 प्रत्येक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को लेखों के वार्षिक विवरण-पत्र तथा ऐसी अन्य जानकारी जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत करने होंगे । वार्षिक लेखों की प्रस्तुति के अतिरिक्त, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित विभिन्न विनियमों तथा संहिताओं की संसूचना अर्हताओं तथा अनुज्ञप्ति शर्तों का परिपालन करना होगा ।

- 9.2 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वांछित जानकारी की प्रस्तुति के अभाव में, आयोग कतिपय स्वविवेक याचिका द्वारा कार्यवाही को प्रारंभ कर सकेगा।
- 10. टैरिफ अवधारण में अंतराल (Periodicity of Tariff Determination) :**
- 10.1 किसी भी वित्तीय वर्ष में, टैरिफ अथवा टैरिफ का कोई भी अंश सामान्यतः एक से अधिक बार के अन्तराल में संशोधित नहीं किया जाएगा। आयोग, स्वयं द्वारा तुष्टि उपरांत तथा इस हेतु कारण लिखित में अभिलिखित किये जाने के पश्चात् ही, टैरिफ में संशोधन की अनुमति प्रदान कर सकेगा।
- 10.2 इन विनियमों के अन्य प्रावधानों के अधीन, किसी वित्तीय वर्ष हेतु स्वीकृत किये गये व्ययों की प्रतिपूर्ति, किसी अनुवर्ती अवधि हेतु स्वीकृत अवधारित टैरिफ में समायोजन के अध्यक्षीन होगी, यदि आयोग सन्तुष्ट हो कि किसी राशि आधिक्य अथवा कमी जो उसके वास्तविक अथवा किये गये व्ययों से संबंधित है, का समायोजन अपरिहार्य है एवं वह किन्हीं विशिष्ट कारणों से पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण में न होने के कारणवश है।
- 11. सुनवाई (Hearings) :**
- 11.1 टैरिफ आवेदन पर सुनवाई संबंधी प्रक्रिया, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति एवं इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004, समय-समय पर यथासंशोधित में विनिर्दिष्ट अनुसार की जाएगी।
- 12. आयोग के आदेश (Orders of the Commission) :**
- 12.1 किसी याचिका के दायर किये जाने पर, आयोग पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से किसी अतिरिक्त जानकारी, विवरण, दस्तावेज, सार्वजनिक अभिलेख आदि, जैसा कि आयोग उचित समझे, की मांग कर सकेगा ताकि आयोग याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत गणनाओं, अनुमानों एवं अभिकथनों के मूल्यांकन हेतु समर्थ हो सके।
- 12.2 जानकारी प्राप्त होने पर अथवा अन्यथा, आयोग मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति एवं इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम 2004, समय-समय पर यथासंशोधित के उपबंधों के अनुरूप समुचित आदेश जारी कर सकेगा।

13. अनुमोदित विद्युत-दरसे अधिक प्रभारित करना (Charging of Tariff other than approved) :

13.1 किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को, जिसे हितग्राहियों से आयोग द्वारा अनुमोदित से भिन्न टैरिफ प्रभारित करते हुए पाया जाएगा, के संबंध में यह माना जाएगा कि उसके द्वारा आयोग के आदेशों का परिपालन नहीं किया गया है, उसे अधिनियम की धारा 142 के अन्तर्गत तथा अधिनियम के अन्य उपबंधों के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय अन्य किसी दायित्व बिना किसी पक्षपात के, दण्डित किये जाने की पात्रता होगी । ऐसे प्रकरण में जहां वसूल की गई राशि, आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई राशि से अधिक हो तो इस प्रकार अधिक वसूल की गई राशि को हितग्राहियों को, जिनके द्वारा अधिक राशि का भुगतान किया गया है मय उक्त अवधि के साधारण ब्याज के साथ, जिसकी दर तत्संबंधी वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति में भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर में 3.5 प्रतिशत जोड़कर होगी, मय आयोग द्वारा अधिरोपित शास्ति (penalty) के, प्रत्यर्पण (refund) की जाएगी ।

14. पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की वार्षिक समीक्षा (Annual Review of Transmission Licensee) :

14.1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ऐसी नियतकालिक विवरणिका (रिटर्न), जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए जिनमें प्रचालन तथा लागत आंकड़े दर्शाये गये हों, आयोग को उसके आदेश के परिपालन को सुनिश्चित किये जाने संबंधी अनुश्रवण (मानिट्रिंग) हेतु, प्रस्तुत करेगा ।

14.2 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग को उसके निष्पादन के वार्षिक विवरण-पत्र तथा लेखा के साथ-साथ अंकेक्षित लेखों के अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा ।

अध्याय – दो

टैरिफ अवधारणा के सिद्धान्त तथा पद्धति

(Principles and Methodology for Determination of Tariff)

15. टैरिफ अवधारण संबंधी याचिका (Petition for Determination of Tariff) :
- 15.1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के अध्याय-1 में उपबंधों के परिपालन में ऐसे प्ररूपों (Forms) में संलग्न कर, जैसा कि इन्हें मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति एवं इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम 2004, समय-समय पर यथासंशोधित में विनिर्दिष्ट किया गया हो, के अनुसार तथा आयोग द्वारा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किये गये सिद्धान्तों के आधार पर टैरिफ अवधारण बावत एक याचिका दायर करेगा । ये सिद्धान्त इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तिथि से माह मार्च, 2016 की अवधि हेतु कार्यान्वित किये जाएंगे ।
- 15.2 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हितग्राहियों अथवा दीर्घ-अवधि क्रेताओं को दिनांक 1.4.2013 से प्रारम्भ होने वाली अवधि से अनन्तिम तौर पर दिनांक 31.3.2013 को प्रयोज्य दर पर देयक प्रस्तुत किया जाना जारी रखेगा जब तक आयोग द्वारा इन विनियमों के अनुसार टैरिफ का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है :
- परन्तु जहां अनन्तिम रूप से बिल की गई विद्युत-दर (टैरिफ) आयोग द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत अनुमोदित अन्तिम विद्युत-दर से अधिक हो अथवा कम हो, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हितग्राहियों अथवा पारेषण क्रेताओं से, जैसा कि प्रकरण में लागू हो, इस राशि का प्रत्यर्पण अथवा वसूली भारतीय स्टेट बैंक की उक्त वर्ष हेतु 1 अप्रैल को प्रयोज्य आधार दर में 3.5 प्रतिशत जोड़कर समतुल्य दर पर छः माह के अंदर करेगा ।
16. केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के सिद्धान्त (CERC's Principles) :
- 16.1 आयोग ने इन विनियमों की संरचना में केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी.ई.आर.सी) द्वारा उनकी उसकी अधिसूचना दिनांक 19.1.2009 द्वारा जारी टैरिफ विनियम संबंधी निबंधन एवं शर्तें, वर्ष 2009 में विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों तथा पद्धतियों संबंधी आदेश, जो दिनांक 1 अप्रैल, 2009, से प्रभावशील है, से मार्गदर्शन प्राप्त किया है ।

17. पूंजीगत लागत एवं पूंजीगत ढांचा (Capital Cost and Capital Structure) :

17.1 किसी परियोजना की पूंजीगत लागत में निम्न सम्मिलित होंगे :

(अ) कार्य के मूल प्रावधान के अनुसार किया गया व्यय अथवा वह जिसे व्यय किया जाना प्रक्षेपित किया गया है, जिसमें निर्माणाधीन अवधि के दौरान ब्याज तथा वित्तीय प्रबन्धन प्रभार, निर्माणाधीन अवधि के दौरान ऋण पर विदेश विनिमय दर परिवर्तन के कारण कोई लाभ अथवा हानि, जो परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तक, जैसा कि आयोग द्वारा स्वीकार किया गया है, निम्नानुसार होगा — (i) लगाई गई 70 प्रतिशत निधि के बराबर, ऐसे प्रकरणों में जहां वास्तविक पूंजी, लगाई गई निधि से 30% अधिक हो, आधिक्य पूंजी को मानदण्डीय ऋण माना जाएगा, अथवा (ii) लगाई गई निधि के 30% से कम लगाई गई निधि के प्रकरण में, ऋण की वास्तविक राशि के बराबर जैसा कि आयोग द्वारा युक्तियुक्त जांच-पड़ताल के उपरान्त इसे स्वीकार किया गया हो, टैरिफ अवधारण का आधार बनेगा ।

(ब) प्रारंभिक कल-पुर्जों की पूंजीकृत राशि निम्न शीर्षस्थ मानदण्डों के अध्यक्षीन होगी :

- (i) पारेषण तन्तुपथ (Transmission Line) — मूल परियोजना लागत का 0.75 प्रतिशत
- (ii) पारेषण उपकेन्द्र (Transmission Substation) — मूल परियोजना लागत का 2.5 प्रतिशत
- (iii) श्रृंखलाबद्ध क्षतिपूर्ति उपकरण (Series Compensation devices) — मूल परियोजना लागत का 3.5%

(स) विनियम 18 के अन्तर्गत अवधारित किया गया अतिरिक्त पूंजीगत व्यय :

परन्तु परिसम्पत्तियां जो परियोजना का भाग बनती हैं, परन्तु उपयोग में न हों, उन्हें पूंजीगत लागत से पृथक रखा जाएगा ।

17.2 आयोग द्वारा युक्तियुक्त जांच-पड़ताल उपरान्त स्वीकृत की गई पूंजीगत लागत विद्युत-दर (टैरिफ) के अवधारण का आधार बनेगी :

परन्तु आयोग द्वारा किसी वैयक्तिक पारेषण परियोजना के प्रकरण में, पूंजीगत लागत की युक्तियुक्त जांच केन्द्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये गये मार्गदर्शी मानदण्डों पर आधारित की जा सकेगी :

परन्तु यह भी कि जहां केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट मार्गदर्शी मानदण्डों का अनुप्रयोग नहीं किया जाता हो, युक्तियुक्त जांच-पड़ताल में पूंजीगत व्यय,

वित्त-प्रबंधन योजना, निर्माणाधीन अवधि के दौरान ब्याज, दक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग, आधिक्य लागत तथा अन्य ऐसे विषय जैसे कि ये आयोग द्वारा टैरिफ के अवधारण हेतु समुचित समझे जाएं :

परन्तु यह भी कि जहां पारेषण सेवा अनुबंध वास्तविक व्यय की कोई उच्चतम सीमा का प्रावधान करता हो, वहां आयोग द्वारा टैरिफ के अवधारण बाबत अनुज्ञेय पूंजीगत व्यय के अंतर्गत ऐसी उच्चतम सीमा पर विचार किया जाएगा :

परन्तु यह भी कि विद्यमान परियोजनाओं के प्रकरण में, आयोग द्वारा दिनांक 1.4.2013 से पूर्व स्वीकार की गई पूंजीगत लागत तथा टैरिफ अवधि 2013-16 के तत्संबंधी वर्ष हेतु प्रक्षेपित किया गया अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, जैसा कि इसे आयोग द्वारा स्वीकार किया जाए, टैरिफ के अवधारण का आधार बनेगा ।

- 17.3 आयोग द्वारा लागत अनुमानों का सूक्ष्म परीक्षण पूंजीगत लागत, वित्त प्रबंध योजना, निर्माण अवधि के दौरान ब्याज राशि, प्रौद्योगिकी के दक्ष प्रयोग तथा इसी प्रकार की अन्य मदों के संबंध में इनके युक्तियुक्त होने के संबंध में किया जाएगा। आयोग इस संबंध में, जैसा कि वह उचित समझे, विशेषज्ञ परामर्श भी प्राप्त कर सकेगा ।
- 17.4 पूंजी (इक्विटी) एवं ऋण के आनुपातिक अंशदान के संबंध में पूंजीगत लागत की पुनर्संरचना को टैरिफ अवधि के दौरान अनुज्ञेय किया जा सकेगा, यदि ऐसा टैरिफ को विपरीतात्मक प्रभावित न करे । इस प्रकार की गई किसी पुनर्संरचना द्वारा प्राप्त कतिपय लाभ को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के दीर्घ-अवधि राज्यान्तरिक खुली पहुंच क्रेताओं को ऐसे अनुपात में, जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अन्तरित किया जाएगा ।

18. अतिरिक्त पूंजीकरण (Additional Capitalization) :

- 18.1 कार्य के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत, निम्न दर्शाये कारणों के अंतर्गत वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के उपरान्त किया गया पूंजीगत व्यय, अथवा जिसे व्यय किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो, को आयोग द्वारा युक्तियुक्त जांच-पड़ताल के अध्यक्षीन स्वीकार किया जा सकेगा :
- (ए) अ-निष्पादित दायित्व (undischarged Liabilities),
- (बी) वे कार्य जिन्हें निष्पादन हेतु स्थगित रखा गया हो,
- (सी) माध्यस्थम प्रकरण में पारित अधिनिर्णय के परिपालन में अथवा किसी आदेश के परिपालन में अथवा न्यायालय द्वारा आदेशित डिक्री के परिपालन में दायित्व,

- (डी) कानून में किसी परिवर्तन के कारण, तथा
 (ई) कार्य के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत विनियम 17.1(ब) के उपबंधों के अध्यक्षीन प्रारंभिक कलपुर्जों की अधिप्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) हेतु,

परन्तु कार्य के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये कार्यों के विवरण, व्यय के प्राक्कलनों, अ-निष्पादित दायित्व तथा निष्पादन हेतु स्थगित रखे गये कार्यों की सूची टैरिफ आवेदन के साथ प्रस्तुत करने होंगे ।

18.2 पृथक्कृत तिथि (Cut off date) के उपरान्त किया गया निम्न प्रकार का पूंजीगत व्यय, आयोग द्वारा युक्तियुक्त जांच-पड़ताल के अध्यक्षीन, आयोग के स्वविवेक अनुसार अनुज्ञेय किया जा सकेगा :

- (अ) माध्यस्थम प्रकरण में पारित अधिनिर्णय के परिपालन में अथवा किसी आदेश के परिपालन में अथवा न्यायालय द्वारा आदेशित डिक्री के परिपालन में दायित्वों के निर्वहन हेतु;
 (ब) कानून में किसी परिवर्तन के कारण; तथा
 (स) रिले, नियंत्रण तथा उपकरणों, कम्प्यूटर प्रणाली, विद्युत तन्तुपथ संवाहक संसूचना डीसी बैटरियां, दोष में वृद्धि के कारण स्विचयार्ड उपकरण को बदला जाना, आकस्मिक पुनर्स्थापना प्रणाली, विसंवहनों (Insulators) की सफाई हेतु अधोसंरचना, क्षतिग्रस्त उपकरणों की पुनर्स्थापना जो बीमा के अन्तर्गत न आता हो, जैसी मदों पर किया गया अतिरिक्त व्यय तथा अन्य कोई व्यय जिसे पारेषण प्रणाली के सफल तथा दक्ष प्रचालन हेतु किया जाना अत्यावश्यक हो गया हो ।

19. नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण (Renovation and Modernisation - R&M):

- 19.1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पारेषण प्रणाली के उपयोगी जीवनकाल के विस्तार के प्रयोजन हेतु नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण पर होने वाले व्यय की आपूर्ति के प्रयोजन से, आयोग के समक्ष एक आवेदन प्रस्ताव के अनुमोदनार्थ, एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा जिसमें उसका सम्पूर्ण उद्देश्य, औचित्य, लागत-लाभ विश्लेषण किसी संदर्भ तिथि से जीवनकाल की अनुमानित वृद्धि, वित्तीय समुच्चय (Financial Package), व्यय का प्रक्रम, कार्य पूर्ण करने संबंधी कार्यक्रम, संदर्भ मूल्य स्तर, कार्य पूर्ण करने संबंधी अनुमानित लागत मय विदेशी विनिमय घटक के, यदि कोई हो, हितग्राहियों का सहमति-पत्र तथा अन्य कोई जानकारी जिसे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रासंगिक माना जाए, संलग्न किया जाएगा ।

19.2 जहां पारेषण अनुज्ञप्तिधारी नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण के अनुमोदन हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, ऐसे प्रकरण में प्रस्ताव का अनुमोदन लागत-प्राक्कलनों के युक्तियुक्त होने, वित्तीय प्रबंधन योजना, कार्यपूर्ण करने संबंधी कार्यक्रम, निर्माण कार्य के दौरान ब्याज, दक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग, लागत-लाभ विश्लेषण, तथा ऐसे अन्य कारक जो आयोग द्वारा प्रासंगिक समझे जाएंगे, पर यथोचित विचारोपरान्त किया जाएगा ।

19.3 टैरिफ के अवधारण का आधार, किया गया कोई व्यय अथवा किये जाने वाला कोई प्रक्षेपित (projected) व्यय, जैसा कि इसे आयोग द्वारा, नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण संबंधी व्यय तथा जीवन काल के विस्तार संबंधी प्राक्कलनों की युक्तियुक्त जांच-पड़ताल पश्चात् तथा प्रतिस्थापित की गई परिसम्पत्तियों की मूल राशि के अपलेखन पश्चात् तथा मूल परियोजना लागत से संचित अवमूल्यन परन्तु अवमूल्यन के विरुद्ध अग्रिम को सम्मिलित करते हुए, को घटाकर स्वीकार किया गया हो, होगा ।

20. ऋण-पूंजी अनुपात (Debt-Equity Ratio) :

20.1 किसी परियोजना हेतु जिसे दिनांक 1.4.2013 अथवा इसके उपरान्त वाणिज्यिक प्रचालन हेतु घोषित किया गया हो, यदि वास्तविक रूप से लगाई गई पूंजी, पूंजीगत लागत से 30 प्रतिशत अधिक हो तो 30 प्रतिशत से अधिक पूंजी को मानदण्डीय ऋण माना जाएगा :

परन्तु जहां वास्तविक रूप से लगाई गई पूंजी पूंजीगत लागत से 30 प्रतिशत कम हो, वहां ऐसे प्रकरण में टैरिफ अवधारण हेतु वास्तविक रूप से लगाई गई पूंजी को ही मान्य किया जाएगा :

परन्तु यह भी कि विदेशी मुद्रा में निवेशित की गई पूंजी को प्रत्येक निवेश की तिथि को भारतीय रूपयों में नामोदिष्ट (Designated) किया जाएगा ।

व्याख्या : पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परियोजना के वित्तीय पोषण हेतु उसकी मुक्त संचिति (Free reserve) में से सृजित आन्तरिक स्रोतों की अंशपूजी तथा पूंजी निवेश जारी करते समय अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि, यदि कोई हो, को पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना हेतु चुकाई गई पूंजी के रूप में गणना की जाएगी । इस प्रतिबंध के अंतर्गत कि ऐसी अधिमूल्य राशि तथा आन्तरिक स्रोतों को पारेषण प्रणाली को पूंजीगत व्यय की आपूर्ति हेतु वास्तविक उपयोग में लाया जाएगा ।

- 20.2 ऐसे प्रकरण में जहां पारेषण प्रणाली को दिनांक 1.4.2013 से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया गया हो, आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2013 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्तर्गत टैरिफ के अवधारण हेतु अनुज्ञेय किया गया ऋण-पूंजी (इक्विटी) अनुपात मान्य किया जाएगा ।
- 20.3 ऐसा कोई व्यय जो दिनांक 1.4.2013 को अथवा उसके उपरांत किया गया अथवा किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो, जैसा कि आयोग द्वारा इसे अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के रूप में टैरिफ के अवधारण हेतु स्वीकार किया गया हो एवं जीवनकाल की वृद्धि हेतु नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण व्यय को विनियम 20.1 में विनिर्दिष्ट विधि के अनुसार सेवाकृत किया जाएगा ।

21. पारेषण टैरिफ (Transmission Tariff)

- 21.1 राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली के अन्तर्गत विद्युत के पारेषण में वार्षिक स्थाई लागत की वसूली हेतु पारेषण प्रभार में विनियम 22 में निर्दिष्टानुसार तत्व सम्मिलित होंगे ।

22. वार्षिक स्थाई लागत (Annual Fixed Cost)

- 22.1 किसी पारेषण प्रणाली हेतु वार्षिक स्थाई लागत में निम्न तत्व सम्मिलित होंगे :

- (ए) पूंजी पर प्रतिलाभ;
- (बी) ऋण पूंजी पर ब्याज तथा वित्त प्रभार;
- (सी) अवमूल्यन;
- (डी) पट्टा/भाड़ा क्रय प्रभार;
- (ई) कार्यकारी पूंजी पर ब्याज; तथा
- (एफ) प्रचालन तथा संधारण व्यय ।

23. पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity) :

- 23.1 पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना चुकाई गई पूंजी पर रूपयों के रूप में विनियम 20 के अन्तर्गत अवधारित किये गये अनुसार की जाएगी ।
- 23.2 पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना पूर्व-टैक्स आधार पर 15.5 प्रतिशत की आधार दर पर की जाएगी, जिसे इस विनियम की कण्डिका 23.3 के अनुसार सकलबद्ध (Gross-up) किया जाएगा:

परन्तु ऐसी परियोजनाओं के प्रकरणों में, जिन्हें 1 अप्रैल, 2013 को अथवा उसके उपरान्त क्रियाशील (commissioned) किया जाता है, उन पर 0.5 प्रतिशत का अतिरिक्त

प्रतिलाभ अनुज्ञेय किया जावेगा यदि ये परियोजनाएं परिशिष्ट-1 में दर्शाई गई समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कर जाती हैं :

परन्तु यह भी कि 0.5 प्रतिशत का यह अतिरिक्त प्रतिलाभ अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा यदि परियोजना उपरोक्त दर्शाई गई समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण नहीं की जाती, भले ही इसका कोई भी कारण क्यों न हो।

- 23.3 वर्ष 2012-13 हेतु पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को प्रयोज्य सामान्य कर दर की आधार दर को सकलीकृत करते हुए की जाएगी :

परन्तु पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को प्रयोज्य वास्तविक कर दर के संबंध में पूंजी पर प्रतिलाभ, जो टैरिफ अवधि के दौरान तत्संबंधी वर्ष के सुसंगत वित्त अधिनियमों के उपबंधों से संरेखित हो, का सत्यापन प्रत्येक वर्ष हेतु आगामी टैरिफ अवधि की टैरिफ याचिका के साथ पृथक से किया जाएगा।

- 23.4 पूंजी पर प्रतिलाभ की दर की गणना को तीन दशमलव बिन्दुओं तक पूर्णांक किया जाएगा तथा इसकी गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

$$\text{पूंजी पर पूर्व-कर प्रतिलाभ की दर (Rate of Pre-Tax Return on Equity)} = \frac{\text{आधार दर}}{(1 - t)}$$

जहां पर 't' इस विनियम की कण्डिका 23.3 के अनुसार प्रयोज्य कर-दर है ।

उदाहरण (Illustration) :

- (i) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के प्रकरण में, जो न्यूनतम वैकल्पिक कर (Minimum Alternate Tax - MAT) का भुगतान 20.1 प्रतिशत की दर से अधिभार तथा उपकर (Surcharge and Cess) को सम्मिलित करते हुए, कर रहा हो :

$$\text{पूंजी पर प्रतिलाभ की दर} = \frac{15.50}{(1 - 0.201)} = 19.38\%$$

- (ii) ऐसे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के प्रकरण में, जो सामान्य निकाय कर (normal corporate tax) का भुगतान माने गये 33.99 प्रतिशत की दर से, अधिभार तथा उपकर को शामिल करते हुए कर रहा हो :

15.50

$$\text{पूंजी पर प्रतिलाभ की दर} = \frac{15.50}{(1 - 0.3399)} = 23.481\%$$

- 24. ब्याज एवं ऋण पूंजी पर वित्तीय प्रभार (Interest & Finance Charges on Loan Capital) :**
- 24.1 विनियम 20 में दर्शाई गई विधि अनुसार प्राप्त किये गये ऋण, ऋण पर ब्याज की सकल मानदण्डीय ऋण की गणना किये गये माने जाएंगे ।
- 24.2 दिनांक 1.4.2013 की स्थिति में बकाया मानदण्डीय ऋणों की गणना आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2013 तक सकल मानदण्डीय ऋण में से संचिति (Cumulative) अदायगी को घटाकर की जायेगी ।
- 24.3 टैरिफ अवधि 2013-16 के प्रत्येक वर्ष हेतु अदायगी को उक्त वर्ष हेतु अनुज्ञेय किये गये अवमूल्यन के बराबर माना जाएगा ।
- 24.4 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भले ही कोई भी विलम्बकाल अवधि (Moratorium period) का लाभ लिया गया हो, ऋण की अदायगी को परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से ही माना जाएगा तथा यह वार्षिक अनुज्ञेय किये गये अवमूल्यन के समतुल्य होगा ।
- 24.5 ब्याज की दर, ब्याज की भारित औसत दर के बराबर होगी, जिसकी गणना परियोजना हेतु प्रयोज्य प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में वास्तविक ऋण की श्रेणी (Portfolio) के आधार पर की जाएगी ।
- परन्तु यदि किसी विशिष्ट वर्ष में कोई वास्तविक ऋण न हो परन्तु मानदण्डीय ऋण अभी भी बकाया हो तो ऐसी दशा में अन्तिम उपलब्ध भारित औसत ब्याज दर ही मानी जाएगी ।
- परन्तु यदि पारेषण प्रणाली में वास्तविक ऋण लंबित न हो तो ऐसी दशा में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की समग्र रूप से भारित औसत ब्याज दर मानी जाएगी ।
- 24.6 ऋण पर ब्याज की गणना वर्ष के मानकीकृत औसत ऋण पर भारित औसत ब्याज दर की प्रयुक्ति द्वारा की जाएगी ।

24.7 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ऋण की पुनर्वित्त व्यवस्था (Refinance) हेतु समस्त प्रयास करेगा जब तक यह ब्याज पर सकल लाभ में परिणत हों तथा ऐसी दशा में ऐसी पुनर्वित्त व्यवस्था हेतु संबद्ध लागतों को हितग्राहियों द्वारा वहन किया जाएगा तथा इस प्रकार की गई सकल बचत को हितग्राहियों द्वारा तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के मध्य 2 : 1 के अनुपात में वितरित किया जाएगा ।

24.8 ऋणों की निबंधन तथा शर्तों में किये गये परिवर्तनों को इस प्रकार की गई पुनर्वित्त व्यवस्था की तिथि से दर्शाया जाएगा ।

24.9 किसी विवाद की दशा में, कोई भी पक्षकार मप्रविनिआ (कार्य संचालन) विनियम, 2004, यथासंशोधित के अनुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा :

परन्तु पारेषण क्रेताओं द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किये गये ब्याज के कारण किसी प्रकार के भुगतान को ऋण की पुनर्वित्त व्यवस्था से उद्भूत किसी विवाद के प्रतितोषण की प्रत्याशा में रोका न जाएगा ।

25. अवमूल्यन/अवक्षयण (Depreciation) :

25.1 टैरिफ के प्रयोजन हेतु, अवमूल्यन की गणना निम्न विधि द्वारा की जाएगी :

(ए) अवमूल्यन के प्रयोजन हेतु आधार मूल्य परिसम्पत्तियों की पूंजीगत लागत होगी जैसा कि आयोग द्वारा इसे अनुज्ञेय किया जाए ।

(ब) अनुमोदित/स्वीकृत लागत में विदेशी मुद्रा का निधीयन (फंडिंग) सम्मिलित किया जाएगा जिसे वास्तविक तिथि को प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा पर प्रचलित विनिमय दर पर समतुल्य रूप्यों में परिवर्तित किया जाएगा ।

(स) परिसम्पत्ति का उपादेय मूल्य (Salvage Value) 10 प्रतिशत माना जाएगा तथा अवमूल्यन को परिसम्पत्ति की पूंजीगत लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक अनुज्ञेय किया जाएगा ।

(डी) पट्टे पर ली गई भूमि के अतिरिक्त किसी भी भूमि को अवमूल्यन योग्य परिसम्पत्ति नहीं माना जाएगा तथा परिसम्पत्ति के अवमूल्यन-योग्य मूल्य की गणना करते समय इसकी लागत को पूंजीगत लागत में से कम कर दिया जाएगा ।

(ई) अवमूल्यन की गणना प्रतिवर्ष सरल रेखा विधि (Straight Line method) के आधार पर तथा पारेषण प्रणाली की परिसम्पत्तियों हेतु परिशिष्ट-2 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार की जाएगी।

परन्तु वर्ष के 31 मार्च की स्थिति में अवशेष अवमूल्यन-योग्य मूल्य को वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के 12 वर्षों की अवधि के उपरान्त परिसम्पत्तियों के अवशेष उपयोगी जीवन काल के अन्तर्गत प्रसारित कर दिया जाएगा।

परन्तु यह भी कि परिसम्पत्ति के सृजन हेतु उपभोक्ता का अंशदान अथवा पूंजीगत सहायतानुदान/अनुदान आदि को लेखांकन नियम, जो समय-समय पर अधिसूचित कर लागू किये जाएंगे, के अनुसार संव्यवहारित किया जाएगा।

(एफ) विद्यमान परियोजनाओं के प्रकरणों में, दिनांक 1.4.2013 की स्थिति में अवशेष अवमूल्यन मूल्य की गणना आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2013 तक स्वीकार की गई परिसम्पत्तियों के सकल अवमूल्यन योग्य मूल्य में अवमूल्यन के विरुद्ध अग्रिम राशि को सम्मिलित कर, में से संचयी अवमूल्यन को घटाकर की जाएगी। अवमूल्यन दर को परिशिष्ट-2 में विनिर्दिष्ट दर पर प्रभारित किया जाना जारी रखा जाएगा जब तक संचयी अवमूल्यन 70 प्रतिशत तक पहुंच नहीं जाता। तत्पश्चात्, अवशेष अवमूल्यन योग्य मूल्य को परिसम्पत्ति के अवशेष जीवनकाल के अंतर्गत प्रसारित कर दिया जाएगा ताकि अधिकतम अवमूल्यन की 90 प्रतिशत से अधिक बढ़ोत्तरी न हो।

(जी) अवमूल्यन वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से प्रभारणीय होगा। परिसम्पत्ति के वाणिज्यिक प्रचालन वर्ष के किसी अंश हेतु अवमूल्यन को *आनुपातिक दर (Prorata)* पर प्रभारित किया जाएगा।

26. पट्टा/भाड़ा क्रय प्रभार (Lease/Hire Purchase Charges) :

26.1 अनुज्ञापिधारी द्वारा पट्टे (लीज) पर ली गई परिसम्पत्तियों पर पट्टा प्रभारों पर पट्टा संबंधी अनुबंध अनुसार विचार किया जाएगा बशर्ते आयोग द्वारा इन प्रभारों को युक्तियुक्त माना जाए।

27. प्रचालन एवं संधारण व्यय (Operation & Maintenance Expenses) :

27.1 टैरिफ अवधि हेतु प्रचालन तथा संधारण व्यय का अवधारण आयोग द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मानकीकृत प्रचालन एवं संधारण व्ययों के आधार पर किया जाएगा।

- 27.2 टैरिफ अवधि के प्रारंभ में, राज्य पारेषण इकाई द्वारा छटवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार, कर्मचारियों के वेतनमान के पुनरीक्षण के कारण, कर्मचारियों को देय बकाया राशि को छोड़कर, मानकीकृत प्रचालन तथा संधारण व्ययों में अभिवृद्धि, थोक विक्रय मूल्य सूचकांक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के भारित औसत पर 60 : 40 के अनुपात में विचार करते हुए 7.93 प्रतिशत दर पर की गई है।
- 27.3 मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीटीसीएल) से एकत्रित किये गये विवरण का परीक्षण किये जाने पर यह पाया गया कि पिछली नियंत्रण अवधि के दौरान मानदण्डीय व्ययों की गणना के संबंध में पारेषण तंत्र के मानकों (parametres), जिन पर विचार किया जा रहा है तथा वित्तीय वर्ष 2007-08 से वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु वास्तविक व्यय तथा एमपीपीटीसीएल द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु अनुमानित किये गये व्यय (वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु अंकेक्षित तुलन-पत्र के उपलब्ध न होने के कारण) जो कर्मचारी व्ययों, मरम्मत तथा अनुरक्षण एवं प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों से संबद्ध हैं, मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्यय, एमपीपीटीसीएल द्वारा उपगत व्ययों से अधिक थे। वास्तविक प्रचालन एवं संधारण व्यय मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्ययों का 89.6 प्रतिशत थे। आयोग ने वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु वास्तविक व्ययों को आधार आंकड़े माना है, इन्हें मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्ययों की गणना हेतु उपयोग किये गये मानकों से संबद्ध किया है, इन्हें वित्तीय वर्ष 2012-13 (पिछली नियंत्रण अवधि) तक 6.14 प्रतिशत के वार्षिक वृद्धि कारक (escalation factor) तथा तत्पश्चात इन्हें 7.93 प्रतिशत से गुणा किया है जिसके अनुसार वर्तमान नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2015-16 मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण मानदण्ड प्राप्त किये गये हैं।
- 27.4 आयोग द्वारा मप्रविनिआ (मण्डल तथा उत्तराधिकारी इकाईयों के कार्मिकों को पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा दायित्वों की स्वीकृति हेतु निबंधन तथा शर्तों) विनियम, 2012(जी-38, वर्ष 2012) 20 अप्रैल, 2012 को अधिसूचित किये गये हैं। पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाओं के संबंध में व्यय उपरोक्त विनियमों के उपबंधों के अनुसार स्वीकार किये जाएंगे।
- 27.5 युद्ध, विद्रोह अथवा कानून में कतिपय परिवर्तनों अथवा ऐसी समतुल्य परिस्थितियों के कारण संचालन तथा संधारण व्यय में अभिवृद्धि के संबंध में, जहां आयोग का यह अभिमत हो कि उक्त वृद्धि न्यायोचित है, पर आयोग इसे विनिर्दिष्ट अवधि हेतु लागू करने पर विचार कर सकेगा।

- 27.6 किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी वर्ष में अर्जित कतिपय बचत को उसे स्वयं के पास रोके जाने की अनुमति दी जा सकेगी। किसी वर्ष में लक्ष्य संचालन व संधारण व्ययों से आधिक्य के कारण होने वाली हानि को अनुज्ञप्तिधारी को वहन करना होगा ।
28. **कार्यकारी पूंजी पर देय ब्याज प्रभार (Interest Charges on Working Capital) :**
- 28.1 कार्यकारी पूंजी पर ब्याज दर जिसकी गणना विनियमों में आगे दर्शाई गई विधि के अनुसार की जाना है, मानकीकृत आधार पर की जाएगी तथा इसकी गणना भारतीय स्टेट बैंक की सुसंगत वर्ष की 1 अप्रैल को लागू आधार दर में 3.5 प्रतिशत जोड़कर समतुल्य दर पर की जाएगी। कार्यकारी पूंजी पर ब्याज मानकीकृत आधार पर देय होगा, भले ही अनुज्ञप्तिधारी ने किसी बाहरी संस्था से ऋण लिया हो अथवा कार्यकारी पूंजीगत ऋण मानकीकृत आंकड़ों के आधार से अधिक हो गया हो।
29. **विदेश विनिमय दर परिवर्तन (Foreign Exchange Rate Variation - FERV) :**
- 29.1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी विदेश विनिमय की अनावृत्ति (exposure) को पारेषण प्रणाली हेतु विदेशी मुद्रा में प्राप्त किये गये ऋण पर ब्याज तथा विदेशी ऋण के पुनर्भुगतान के संबंध में बचाव (hedge) एक अंश में अथवा पूर्ण रूप से, जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की स्वेच्छानुसार होगा, कर सकेगा ।
- 29.2 प्रत्येक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, मानदण्डीय विदेशी ऋण से तत्संबंधी विदेश विनिमय दर परिवर्तन से बचाव की लागत की वसूली, सुसंगत वर्ष में, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, उक्त अवधि के दौरान जब कि वह व्यय के रूप में, उद्भूत होता है, करेगा तथा इस प्रकार के विदेश विनिमय दर परिवर्तन से तत्संबंधी अतिरिक्त रूपयों के भुगतान के दायित्व को, बचाव (hedged) किये गये विदेशी ऋण के विरुद्ध अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा।
- 29.3 उक्त सीमा, जहां तक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी विदेश विनिमय अनावृत्ति (exposure) का समायोजन करने में असमर्थ हो, अतिरिक्त रूपयों में भुगतान के दायित्व हेतु ब्याज का भुगतान तथा ऋण की अदायगी, जो मानदण्डीय विदेशी मुद्रा ऋण से सुसंगत वर्ष से तत्संबंधी है, को अनुज्ञेय किया जाएगा बशर्ते यह पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके प्रदायकर्ताओं अथवा ठेकेदारों के कारण न हो ।

29.4 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी बचाव (hedging) की लागत तथा विदेश विनिमय दर परिवर्तन को आय के रूप में उक्त अवधि के दौरान, जब वह उद्भूत हो, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर वसूल करेगा।

30. आय पर कर (Tax on Income):

30.1 दीर्घ-अवधि क्रेताओं से पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के आय-प्रवाहों पर कर की वसूली नहीं की जाएगी :

परन्तु 31 मार्च, 2013 तक की अवधि के विलम्बित कर दायित्वों, अतिरिक्त लाभों (Fringe Benefits) को छोड़कर, के क्रियान्वित होने पर ये दीर्घ-अवधि क्रेताओं से प्रत्यक्ष रूप से वसूली योग्य होंगे ।

31. टैरिफ आय (Tariff Income) :

31.1 आयोग द्वारा विद्युत पारेषण हेतु अवधारित समस्त प्रभारों से प्राप्त आय को टैरिफ आय माना जाएगा। टैरिफ आय में पारेषण प्रभार, प्रतिक्रिया ऊर्जा प्रभार (Reactive Energy Charge) एवं अन्य प्रभार जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएंगे, सम्मिलित होंगे ।

32. गैर-टैरिफ आय (Non Tariff Income) :

32.1 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये उत्पादन कंपनियों तथा अनुज्ञप्तिधारियों को दिये जाने वाला विवरण और इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004, समय-समय पर यथासंशोधित के अन्तर्गत अन्य आय संबंधी अनुसूची, जैसा कि इसका प्रावधान विविध प्रभारों तथा सामान्य प्रभारों की अनुसूची में किया गया है, को 'गैर-टैरिफ आय' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। गैर-टैरिफ आय में पूंजी निवेश, सावधि जमा राशि तथा अन्य जमा राशियों एवं अन्य कोई गैर-टैरिफ आय शामिल की जाएगी।

32.2 अन्य व्यवसाय से प्राप्त राजस्व को, अधिनियम की धारा 41 में विनिर्दिष्ट उक्त सीमा तक, जिसे आयोग द्वारा प्राधिकृत किया जाए, को आय माना जाएगा ।

33. विलंब भुगतान अधिभार (Late Payment Surcharge):

33.1 ऐसे प्रकरणों में, जहां पारेषण तथा अन्य प्रभारों से संबंधित देयकों के भुगतान में, देयकों की प्रस्तुति तिथि से 60 दिवस से अधिक अवधि का विलंब किया जाता है, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी प्रति दिवस विलंब हेतु 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से विलंब भुगतान अधिभार अधिरोपित कर सकेगा ।

34. छूट (Rebate) :

34.1 पारेषण प्रभारों के देयकों का भुगतान साख पत्र (लैटर ऑफ क्रेडिट) द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर, 2 प्रतिशत की छूट अनुज्ञेय होगी । पारेषण अनुज्ञापतिधारी द्वारा देयक का भुगतान किसी अन्य विधि द्वारा, परन्तु देयक प्रस्तुति के एक माह के भीतर किये जाने पर, उसे 1 प्रतिशत की छूट अनुज्ञेय होगी ।

35. व्यवसाय योजना तथा पूंजी निवेश (Business Plan and Capital Investment) :

- 35.1 पारेषण अनुज्ञापतिधारी आयोग द्वारा निम्न बाबत जारी निर्देशों के अनुरूप विस्तृत पूंजी निवेश योजना, वित्त प्रबंध योजना तथा भौतिक लक्ष्यों के संबंध में भार अभिवृद्धि, पारेषण हानियों में कमी, विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार, विश्वसनीयता, मापयंत्रण (मीटरिंग) आदि, की अर्हताओं की आपूर्ति हेतु करेगा ।
- 35.2 प्रमुख योजना में पृथक से निर्माणाधीन परियोजनाएं, जिनका कार्य आगामी विचाराधीन वर्ष में भी जारी रहेगा तथा इसके साथ नवीन परियोजनाएं (औचित्य दर्शाते हुए) जो टैरिफ अवधि में प्रारंभ की जाएंगी तथा जो टैरिफ अवधि में अथवा उसके उपरांत पूर्ण की जा सकेंगी, दर्शाई जाएंगी । पारेषण अनुज्ञापतिधारी हितग्राहियों से दीर्घ-अवधि के अनुबंधों का निष्पादन करेगा जिनके लिए प्रस्तावित मुख्य कार्य (योजनाएं) अन्तर्संयोजनों से ऊपरी तथा निचले क्षेत्रों में पूर्ण लाभ पहुंचाएंगे । ऐसी विशिष्ट योजनाएं आयोग के अनुमोदनार्थ केवल हितग्राहियों से अनुबंधों के निष्पादन पश्चात ही प्रस्तुत की जाएंगी । यह सुविधा केवल ऐसे दीर्घ-अवधि हितग्राहियों तथा वितरण अनुज्ञापतिधारियों को उपलब्ध कराई जाएगी जब वे पारेषण अनुज्ञापतिधारी की पारेषण क्षमता के उपयोग हेतु दीर्घ-अवधि अनुबंधों का निष्पादन कर लेंगे ।
- 35.3 आयोग अनुज्ञापतिधारी की पूंजी निवेश योजना पर विचार कर उसे अनुमोदन प्रदान कर सकेगा जिस हेतु अनुज्ञापतिधारी को सुसंगत तकनीकी एवं वाणिज्यिक विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । अनुज्ञापतिधारी को टैरिफ आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व पूंजी निवेश योजना को आयोग से अनुमोदन कराना होगा ।
- 35.4 अनुमोदित पूंजी निवेश हेतु ऋण तथा पूंजी (इक्विटी) का अनुपात विनियम 20 के उपबंधों के अनुरूप होगा ।

अध्याय – तीन

पारेषण प्रणालियां (Transmission Systems)

36. प्रचालन मानदण्ड :

36.1 मानदण्डीय वार्षिक पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक (Normative Annual Transmission System Availability Factor-NATSAF) : ये कारक सम्पूर्ण पारेषण प्रभारों की वसूली हेतु निम्नानुसार होगा:

एसी प्रणाली हेतु : टैरिफ अवधि हेतु 98.0 प्रतिशत

37. प्रचालन तथा संधारण व्यय [Operation & Maintenance (O & M) Expenses]

37.1 प्रचालन तथा संधारण व्ययों में कर्मियों पर व्यय, मरम्मत एवं संधारण (आर एण्ड एम) व्यय और प्रशासनिक तथा सामान्य (ए एण्ड जी) लागत शामिल होंगे । प्रचालन तथा संधारण व्ययों के मानदण्ड पारेषण लाईनों के सर्किट किलोमीटर तथा उपकेन्द्र पर 'बे' की संख्या के अनुसार निर्धारित किये गये हैं । इन मानदण्डों में पेंशन, कर्मियों को देय सेवान्त प्रसुविधाएं, कर्मचारियों को भुगतान योग्य प्रोत्साहन तथा बकाया राशि, शासन को देय कर तथा म.प्र. विद्युत नियामक आयोग को देय शुल्क शामिल नहीं हैं । पारेषण अनुज्ञापिधारी शासन को देय करों की राशि तथा म.प्र. विद्युत नियामक आयोग को भुगतान किये जाने वाले शुल्क तथा कर्मचारियों को भुगतान की गई बकाया राशि का दावा वास्तविक आंकड़ों के आधार पर पृथक से करेगा । पेंशन तथा टर्मिनल प्रसुविधाओं का दावा विनियम 27.4 के अनुसार किया जाएगा। प्रचालन तथा संधारण मानदण्ड प्रति 100 सर्किट-किलोमीटर एवं प्रति 'बे' निम्नानुसार होंगे:

प्रचालन एवं संधारण व्ययों के मानदण्ड प्रति 100 सर्किट किलोमीटर एवं प्रति बे :

सरल क्रमांक	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16
	तन्तुपथ (लाईनें)	रूपये लाख / 100 सर्किट किलोमीटर/ वर्ष		
1	400 केवी तन्तुपथ	33.6	36.2	39.1
2	220 केवी तन्तुपथ	27.0	29.2	31.5
3	132 केवी तन्तुपथ	25.4	27.4	29.6
	बे	रूपये लाख / बे/ वर्ष		
1	400 केवी बे	15.5	16.7	18.0
2	220 केवी बे	11.5	12.5	13.5
3	132 केवी बे	10.9	11.8	12.7

37.2 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हेतु कुल अनुज्ञेय प्रचालन तथा संधारण व्ययों की गणना 'बे' की संख्या तथा लाईन की 100 सर्किट किलोमीटर लंबाई क्रमशः संचालन एवं संधारण व्यय प्रति बे तथा प्रति 100 सर्किट-किलोमीटर के गुणनफल से प्राप्त द्वारा की जाएगी । अनुज्ञप्तिधारी, आयोग के समक्ष टैरिफ अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु, जैसा लागू हो, अनुज्ञेय-योग्य प्रचालन तथा संधारण व्ययों के समर्थन में, वास्तविक अथवा प्रक्षेपित (प्रोजेक्टेड) लाईनों की लंबाई के सर्किट किलोमीटरों का विवरण तथा प्रत्येक वोल्टेज स्तर हेतु 'बे' की संख्या पृथक-पृथक प्रस्तुत करेगा ।

37.3 सेवान्त प्रसुविधाओं का भुगतान पृथक से विनियम 27.4 में किये गये प्रावधान अनुसार किया जाएगा ।

38. कार्यकारी पूंजी (Working Capital) :

38.1 टैरिफ अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु, कार्यकारी पूंजी में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

- (1) संधारण कलपुर्जो (स्पेअर्स) पर, प्रचालन एवं संधारण व्ययों के 15 प्रतिशत की दर से जैसा कि विनियम 37.1 में निर्दिष्ट किया गया है;
- (2) लक्ष्य उपलब्धि स्तर (Target Availability Level) के आधार पर की गई गणनानुसार पारेषण प्रभारों के दो माह के बराबर प्राप्ति योग्य सामग्रियों की लागत; तथा
- (3) प्रचालन एवं संधारण व्यय, एक माह हेतु ।

39. वार्षिक पारेषण प्रभार (Annual Transmission Charges - TSC) :

39.1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के कुल वार्षिक व्ययों तथा पूंजी (इक्विटी) पर प्रत्याशित प्रतिलाभ की गणना विनियम 17 से 30 सहपठित विनियम 36 से 38 के अनुसार अनुज्ञेय व्ययों एवं प्रतिलाभ के आधार पर की जाएगी ।

39.2 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उसके वार्षिक पारेषण प्रभारों (Annual Transmission Charges - TSC) की वसूली हितग्राहियों से विनियम 40 तथा 41 द्वारा विनिर्दिष्ट की गई विधि के अनुसार किये जाने बाबत प्राधिकृत होगा ।

40. स्थाई प्रभारों की वसूली (Recovery of Fixed Charges) :

40.1 पारेषण प्रणाली की स्थाई लागत की गणना वार्षिक आधार पर इन विनियमों में अन्तर्विष्ट मानदण्डों के अनुसार, इन्हें समुचित रूप से जोड़कर की जाएगी तथा प्रयोक्ताओं से इसकी वसूली मासिक आधार पर की जाएगी जिनके मध्य विनियम में विनिर्दिष्ट विधि के अनुसार, इन प्रभारों का परस्पर बंटवारा किया जाएगा ।

40.2 किसी पारेषण प्रणाली के प्रकरण में, किसी कलेण्डर माह हेतु देय पारेषण प्रभार (प्रोत्साहन को सम्मिलित कर) की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

$$(AFC \times NDM/NDY) \times (TAFM/NATSAP) \text{ (रूपये में)}$$

जहां

AFC -- वर्ष हेतु विनिर्दिष्ट वार्षिक स्थाई लागत (रूपये में),

TAFM -- एक माह हेतु पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक, % (प्रतिशत) में, जिसकी गणना परिशिष्ट-3 के अनुसार की जाएगी,

NATSAP -- मानदण्डीय वार्षिक पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक, प्रतिशत में, जैसा कि इसे कण्डिका 36.1 में विनिर्दिष्ट किया गया है,

NDM -- एक माह में दिवस संख्या,

NDY -- एक वर्ष में दिवस संख्या ।

परन्तु पारेषण अनुज्ञापिधारी, पारेषण प्रभार (प्रोत्साहन को सम्मिलित करते हुए) के एक माह हेतु उसके पारेषण उपलब्धता कारक के प्राक्कलन पर आधारित देयक प्रस्तुत करेगा। इस संबंध में समायोजन यदि कोई हों तो वे एक माह हेतु पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक के आधार पर तैयार किये जाएंगे जिन्हें सुसंगत माह के अंतिम दिवस से 30 दिवस के अंदर राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

41. हितग्राहियों द्वारा पारेषण प्रभार (टीएससी) भुगतानों में हिस्सेदारी तथा तत्संबंधी भुगतान [Sharing and Payment of Transmission Charges (TSC) by Beneficiaries]:

41.1 यदि किसी पारेषण प्रणाली का सृजन किसी विशिष्ट दीर्घ-अवधि पारेषण हितग्राही हेतु, जिसमें किसी उत्पादक स्टेशन हेतु समर्पित पारेषण तन्तुपथ [(line (s))] भी सम्मिलित हैं, किया गया हो तो ऐसी पारेषण प्रणाली हेतु पारेषण प्रभारों का भुगतान, उक्त दीर्घ-अवधि पारेषण हितग्राही द्वारा किया जाएगा ।

41.2 किसी राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली हेतु, मासिक पारेषण प्रभारों को दीर्घ-अवधि पारेषण क्रेताओं द्वारा हिस्सेदारी हेतु निम्न सूत्र के अनुसार समुच्चय (Pooled) किया जाएगा :

किसी राज्यान्तरिक प्रणाली के अन्तर्गत एक माह हेतु उक्त पारेषण प्रणाली के लिये किसी दीर्घ-अवधि पारेषण क्रेता द्वारा भुगतान योग्य पारेषण प्रभार :

$$= (AFC \times NDM/NDY) \times CL/SCL$$

AFC = वर्ष हेतु विनिर्दिष्ट वार्षिक स्थाई लागत (रूपये में),

NDM = एक माह में दिवस संख्या,

NDY = एक वर्ष में दिवस संख्या,

CL = दीर्घ-अवधि पारेषण क्रेताओं को आवंटित पारेषण क्षमता,

SCL = राज्य पारेषण प्रणाली के समस्त दीर्घ-अवधि पारेषण क्रेताओं को आवंटित पारेषण क्षमताओं का योग।

- 41.3 राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली के मध्यम-अवधि प्रयोक्ताओं द्वारा उक्त मेगावाट के अनुपात में प्रभार का भुगतान किया जाएगा जिस हेतु, मध्यम-अवधि प्रयोग राज्य पारेषण इकाई द्वारा उक्त माह हेतु अनुमोदित किया गया हो।
- 41.4 लघु-अवधि हितग्राही प्रभारों का भुगतान मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच प्रणाली की निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2005, समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसार कर सकेंगे।
- 41.5 किसी संयंत्र क्षमता से संबद्ध पारेषण प्रभार, जिस हेतु हितग्राही को चिन्हित तथा संविदाकृत नहीं किया गया है, का भुगतान संबंधित उत्पादक कम्पनी द्वारा किया जाएगा।
- 41.6 राष्ट्रीय विद्युत नीति का धारा 5.8.10 में पारेषण तथा वितरण हानियों को कम किये जाने वाले प्रयासों का प्रावधान किया गया है। मध्यप्रदेश सरकार ने विद्युत वितरण कम्पनियों के लिये वितरण हानि का प्रक्षेप-वक्र (trajectory) निर्दिष्ट किया है। आयोग द्वारा जारी वितरण विद्युत-दर संबंधी विनियमों में वितरण हानि स्तर का प्रक्षेप-वक्र निर्दिष्ट किया गया था। यद्यपि म.प्र. शासन ने पारेषण हानि के संबंध में प्रक्षेप-वक्र निर्दिष्ट नहीं किया है, आयोग एतद् द्वारा पूर्व वर्षों की वास्तविक पारेषण हानियों पर आधारित प्रक्षेप-वक्र निर्दिष्ट करता है ताकि मापदण्डों (benchmarking) तथा टैरिफ संबंधी विषयों पर संदर्भ उपलब्ध रहे।

नियंत्रण अवधि के लिये पारेषण हानि लक्ष्य को निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

लक्ष्यबद्ध पारेषण हानियां (प्रतिशत में)

वित्तीय वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16
प्रतिशत	3.16%	2.97%	2.78%

अध्याय—चार विविध

42. अनुमोदित स्वच्छ विकास कार्यविधि (Clean Development Mechanism - CDM) को कार्बन आकलन (Carbon Credit) से प्राप्तियों का परस्पर बंटवारा निम्न विधि द्वारा किया जाएगा, अर्थात् :
- (अ) स्वच्छ विकास कार्यविधि के कारण सकल प्राप्तियों की 100 प्रतिशत राशि परियोजना के विकासकर्ता द्वारा पारेषण प्रणाली की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के प्रथम वर्ष में स्वयं के पास रखी जाएगी ।
- (ब) द्वितीय वर्ष में, हितग्राहियों का अंशदान 10 प्रतिशत होगा, जिसमें उत्तरोत्तर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से अभिवृद्धि की जावेगी, जिसे 50 प्रतिशत तक पहुंचाने के उपरान्त, प्राप्तियों की पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा हितग्राहियों द्वारा समान अनुपात में बंटवारा किया जाएगा ।
43. मानदण्डों से विचलन :
- 43.1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पारेषण प्रभारों हेतु टैरिफ का अवधारण इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों से विचलन किये जाने पर निम्न शर्तों के अध्यधीन अवधारित किया जा सकेगा :
- (अ) परियोजना के उपयोगी जीवनकाल के अन्तर्गत, समतुल्य टैरिफ दर जिसकी गणना केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय—समय पर अधिसूचित छूट (discounting) कारक पर आधारित मानदण्डों से विचलन के आधार पर अधिनियम की धारा 63 के अन्तर्गत परियोजनाओं हेतु की गई हो, बशर्ते यह इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार की गई गणना से अधिक न हो ।
- (ब) कोई भी विचलन आयोग के अनुमोदन पश्चात् ही प्रभावशील होगा जिस हेतु पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लागू टैरिफ के अवधारण हेतु टैरिफ याचिका वार्षिक राजस्व आवश्यकता दायर करने से पूर्व प्रस्तुत करनी होगी ।
44. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति :
- 44.1 यदि इन विनियमों के किसी भी उपबन्ध को मूर्त रूप देने में कोई कठिनाई आती हो तो आयोग किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को ऐसा कार्य करने अथवा

उत्तरदायित्व संभालने हेतु निर्देशित कर सकता है जो आयोग के मत में कठिनाइयां दूर करने हेतु आवश्यक अथवा वांछनीय हैं ।

45. संशोधन हेतु शक्ति :

45.1 आयोग किसी भी समय इन विनियम के उपबन्धों में जोड़ने, बदलने, परिवर्तन करने, सुधारने अथवा संशोधन संबंधी प्रक्रिया कर सकेगा ।

46. निरसन तथा व्यावृत्ति :

46.1 विनियम नामतः "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तों) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 {आरजी-28(I), वर्ष 2009}" क्रमांक 906/मप्रविनिआ/2009 दिनांक 30.4.2009 जो राजपत्र में अधिसूचना दिनांक 8.5.2009 द्वारा तथा संशोधनों के साथ सहपठित है जैसा कि यह विनियमों की विषयवस्तु के साथ प्रयोज्य है, को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है ।

46.2 इस विनियमों की कोई भी बात आयोग को ऐसे किसी आदेश को पारित करने हेतु अन्तर्निहित शक्तियों को सीमित अथवा प्रभावित नहीं करेगी जो न्याय के उद्देश्य प्राप्त करने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से आवश्यक हो ।

46.3 इन विनियमों में किया गया कोई भी उल्लेख आयोग को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूपता में मामलों में व्यवहार करने के लिये एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेंगे, जो यद्यपि इन विनियमों के प्रावधानों से भिन्न हो, लेकिन जिसे आयोग मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में और इसके कारणों को अभिलिखित करते हुए, आवश्यक या समीचीन समझता हो ।

46.4 इन विनियमों में किया गया कोई भी उल्लेख स्पष्टतया या परोक्ष रूप से आयोग को अधिनियम के आधीन किसी मामले में कार्यवाही करने से या शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेंगे, जिसके लिये कोई संहिता निर्मित नहीं की गई हो और आयोग इस तरह के मामलों में ऐसी कार्यवाही कर सकता है और ऐसी शक्तियों का प्रयोग या कृत्य कर सकता है, जैसा कि आयोग उचित समझता है ।

आयोग के आदेशानुसार,
पी. के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव.

परिशिष्ट-1

परियोजना को पूर्ण किये जाने संबंधी निर्धारित समय-सीमा (विनियम-23)

- परियोजना को पूर्ण किये जाने संबंधी समय-तालिका की गणना पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निविदा जारी किये जाने संबंधी तिथि से इकाईयों की अथवा खण्ड (ब्लॉक) पारेषण परियोजना के तत्व की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तक जैसा कि वह लागू हो, की जाएगी।
- निम्न पैरा तथा तालिकाओं में समय-सारणी, माह में दर्शाई गई है;

पारेषण कार्य	मैदानी क्षेत्र (माह में)	पहाड़ी क्षेत्र (माह में)
400 केवी डी/सी क्वाड (Quad) पारेषण तन्तुपथ	32	38
400 केवी डी/सी ट्रिपल (Triple) पारेषण तन्तुपथ	30	36
400 केवी डी/सी ट्विन (Twin) पारेषण तन्तुपथ	28	34
400 केवी एस/सी ट्विन (Twin) पारेषण तन्तुपथ	24	30
220 केवी डी/सी ट्विन (Twin) पारेषण तन्तुपथ	28	34
220 केवी डी/सी पारेषण तन्तुपथ	24	30
220 केवी एस/सी पारेषण तन्तुपथ	20	26
नवीन 220 केवी एसी उपकेन्द्र	18	21
नवीन 400 केवी एसी उपकेन्द्र	24	27
132 केवी पारेषण लाईन	16	22
नवीन 132 केवी एसी उपकेन्द्र	12	16

टीप :

- ऐसे प्रकरण में, जहां एक योजना उपरोक्त प्रकार की परियोजनाओं का संयोजन है, वह गतिविधि जिसकी अर्हकारी समय-सारणी अधिकतम समय-सीमा दर्शाती है, वह समय-सीमा योजना हेतु सम्पूर्ण समय-सीमा मानी जाएगी।
- ऐसे प्रकरण में, जहां पारेषण लाईन मैदानी क्षेत्र के साथ-साथ पहाड़ी क्षेत्र/बहुत कठिन क्षेत्र में आती हो, संयुक्त अर्हकारी समय-सारणी की गणना, प्रत्येक क्षेत्र में आने वाले तन्तुपथ की लम्बाई को अनुपातिक रूप से भारित करते हुए, की जाएगी।

परिशिष्ट-2

अवमूल्यन अनुसूची

सरल क्रमांक	परिसंपत्ति की विशिष्टताएं	अवमूल्यन दर (उपादेय मूल्य = 10 %)
		सरल रेखा विधि
अ	पूर्ण स्वामित्व के अंतर्गत भूमि	0.00%
ब	पट्टे के अंतर्गत भूमि	
ए	भूमि में निवेश हेतु	3.34%
बी	स्थल की सफाई की लागत हेतु	3.34%
स	नवीन क्रय की गई परिसंपत्तियां	
ए	निम्न हेतु भवन तथा सिविल अभियांत्रिकी कार्य	
(i)	कार्यालय एवं शोरूम	3.34%
(ii)	अस्थाई संरचनाएं, जैसे कि काष्ठ संरचनाएं	100.00%
(iii)	कच्चे मार्गों को छोड़कर, अन्य मार्ग	3.34%
(iv)	अन्य	3.34%
बी	ट्रांसफार्मर, गुमटियां उपकेन्द्र उपकरण तथा अन्य स्थाई उपकरण (संयंत्र सम्मिलित कर)	
(i)	ट्रांसफार्मर, नींव को सम्मिलित करते हुए जिसका मूल्यांकन (रेटिंग) 100 केवीए तथा इससे अधिक है	5.28%
(ii)	अन्य	5.28%
सी	स्विचगियर, केबल कनेक्शन सम्मिलित करते हुए	5.28%
डी	तड़ित चालक	
(i)	स्टेशन प्रकार का	5.28%
(ii)	खंभा प्रकार का	5.28%
ई	सिन्क्रोनस कन्डेसर	5.28%
एफ	बैट्रियां	5.28%
(i)	भूमिगत केबल, जाईट बॉक्स तथा डिसकनेक्टेड बॉक्स सम्मिलित कर	5.28%
(ii)	केबल डक्ट प्रणाली	5.28%
जी	फेब्रीकेटेड इस्पात पर शिरोपरि तन्तुपथ, जो 66 केवी तक तथा इससे अधिक टर्मिनल वोल्टेज पर प्रचालित किया गया है	5.28%
एच	मापयंत्र (मीटर)	5.28%
आई	स्वचालित वाहन	9.50%
जे	वातानुकूलन संयंत्र	

(i)	स्थिर	5.28%
(ii)	वहनीय	9.50%
के (i)	कार्यालय फर्नीचर तथा फर्निशिंग	6.33%
के (ii)	कार्यालय उपकरण	6.33%
के (iii)	आन्तरिक वायरिंग, फिटिंग तथा उपकरण सम्मिलित कर	6.33%
के (iv)	पथ-प्रकाश फिटिंग	5.28%
एल	भाड़े पर प्रदान किये गये उपकरण	
(i)	मोटरों को छोड़कर	9.50%
(ii)	मोटरें	6.33%
एम	संचार उपकरण	
(i)	रेडियो तथा उच्च संवाहक प्रणाली	6.33%
(ii)	दूरभाष लाईनें तथा दूरभाष	6.33%
एन	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण	15.00%
ओ	अन्य सम्पत्तियां जो उपरोक्त में सम्मिलित नहीं हैं	5.28%

परिशिष्ट-3

एक माह हेतु पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक की गणना की विधि

1. एक कलेण्डर माह हेतु पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक (TAFM) की गणना तत्संबंधी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की जाएगी, संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC) से इसको सत्यापित तथा प्रमाणित कराया जाएगा तथा पारेषण प्रभारों के आवंटन अनुसार इसे वर्गीकृत किया जाएगा।
2. किसी पारेषण प्रणाली/उप-प्रणाली हेतु, पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक (TAFM) प्रतिशत में $(100 - 100 \times \text{NAFM})$ के बराबर होगा, जहां (NAFM) माह हेतु अनुपलब्धता कारक (Non-availability factor in the month-NAFM) प्रति यूनिट होगा।
3. ऐसी प्रणालियों/उप-प्रणालियों हेतु NAFM (माह हेतु अनुपलब्धता कारक) की गणना निम्नानुसार की जाएगी;

$$\text{NAFM} = \left[\sum_{l=1}^L (\text{OH}_{l1} \times \text{Ckt km}_{l1} \times \text{NSC}_{l1}) + \sum_{t=1}^T (\text{OH}_{t1} \times \text{MVA}_{t1} \times 2.5) \right. \\ \left. + \sum_{r=1}^R (\text{OH}_{r1} \times \text{MVAR}_{r1} \times 4) \right] \div \text{THM} \times \left[\sum_{l=1}^L (\text{Ckt km}_{l1} \times \text{NSC}_{l1}) \right. \\ \left. + \sum_{t=1}^T (\text{MVA}_{t1} \times 2.5) + \sum_{r=1}^R (\text{MVAR}_{r1} \times 4) \right]$$

जहां कि

- I- का तात्पर्य एक पारेषण तन्तुपथ (लाईन) सर्किट से है
- t- का तात्पर्य ट्रांसफार्मर/अन्तर्संयोजित ट्रांसफार्मर (Inter connecting transformer -ICT)से है।
- r- का तात्पर्य बस रिएक्टर, स्विच योग्य तन्तुपथ रिएक्टरों अथवा स्टेटिक वार कम्पेंसेशन (SVCs) से है।
- L- तन्तुपथ सर्किटों की कुल संख्या
- T- ट्रांसफार्मरों तथा अन्तर्संयोजित ट्रांसफार्मरों (ICTs) की संख्या
- R- बस रिएक्टरों, स्विचयोग्य तन्तुपथ (लाईन) रिएक्टरों तथा स्टेटिक वार कम्पेंसेशन (SVCs) की संख्या

OH- अवरोध के घंटे अथवा माह के दौरान अनुपलब्धता की अवधि (घंटों में) जिसमें अवरोध की वह समय— अवधि सम्मिलित नहीं की जावेगी जो कण्डिका (5) के अनुसार यदि कोई हो, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के कारण नहीं है।

Cktkm- पारेषण लाईन सर्किट की लंबाई, किलोमीटर में

NSC- प्रति फेज उप-संवाहकों की संख्या

MVA- ट्रांसफार्मर/अन्तर्संयोजित ट्रांसफार्मर की एमवीए रेटिंग

MVAR- = बस रिएक्टर स्विच-योग्य तन्तुपथ रिएक्टर अथवा स्टेटिक वार कम्पेंसेशन की एमवीए श्रेणी
(ऐसे प्रकरण में यह इण्डक्टिव तथा कैपेसिटिव क्षमताओं का योग होगा)

THM- माह के दौरान घंटों की संख्या

4. अवरोध (Outage) के अंतर्गत पारेषण तत्वों को निम्न कारणों से उपलब्ध माना जाएगा :

- (i) अन्य पारेषण प्रणाली के संधारण अथवा निर्माण हेतु प्रणाली बंद किये जाने हेतु प्राप्त की गई सुविधा यदि अन्य पारेषण योजना पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्व में हो तो ऐसी दशा में राज्य भार प्रेषण केन्द्र मानी गई उपलब्धता अवधि को सन्निहित कार्य हेतु परिसीमित कर सकेगा, जैसा कि वह इसे युक्तियुक्त समझे।
- (ii) राज्य भार प्रेषण केन्द्र के निर्देशानुसार किसी पारेषण तन्तुपथ की आधिक्य वोल्टेज को नियंत्रित किये जाने हेतु तथा चालू रिएक्टरों की हस्तुन्नालित व्यवस्था द्वारा आपूर्ति बंद करना।

5. निम्न आकस्मिकताओं हेतु विद्याराधीन अवधि के दौरान, पारेषण तत्वों की अवरोध अवधि को तत्व के कुल समय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा—

- (i) दैविक प्रकोप तथा आपदाग्रस्त घटनाएं, जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों के कारण से हैं। तथापि, राज्य भार प्रेषण केन्द्र को तुष्ट करने का यह दायित्व कि अवरोध का तत्व उपरोक्त घटनाओं के कारणों से है, न कि रूपांकन की किसी असफलता के कारण, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का होगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा तत्व की पुनः स्थापना हेतु युक्तियुक्त समय-पर विचार किया जाएगा तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तत्व की पुनर्स्थापना हेतु युक्तियुक्त समय के उपरांत लिये गये अतिरिक्त समय को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के कारण लिया गया समय माना जाएगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अथवा किसी विशेषज्ञ को युक्तियुक्त पुनर्स्थापना समय का अनुमान किये जाने हेतु परामर्श ले सकेगा। आकस्मिक पुनर्स्थापना प्रणाली (Emergency Restoration System- ERS)के माध्यम से पुनर्स्थापित किये गये सर्किटों को उपलब्ध कराया गया माना जाएगा।
- (ii) किसी ग्रिड की घटना/विक्षोभ (disturbance) के कारण घटित अवरोध, जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के कारण न हो, उदाहरण के तौर पर अन्य किसी एजेन्सी के स्वामित्व वाले उपकेन्द्र तथा 'बे' में दोष जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के तत्वों में अवरोध उत्पन्न करता हो, ग्रिड में विक्षोभ के कारण तन्तुपथों अन्तर्संयोजित ट्रांसफार्मरों आदि से विद्युत आपूर्ति बंद होना। तथापि, यदि ग्रिड की घटना/विक्षोभ के उपरांत तत्व की पुनर्स्थापना क्षेत्रीय राज्य भार प्रेषण केन्द्र से निर्देशों की प्राप्ति के उपरांत भी युक्तियुक्त समय में उसे सामान्य स्थिति में लाते समय प्राप्त न हो, तो ऐसी परिस्थिति में राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा पुनर्स्थापना हेतु अवरोध अवधि बाबत जारी किये गये दिशा-निर्देशों के उपरांत तत्व को उपलब्ध न कराया गया माना जाएगा।

Bhopal, 7th December, 2012

No.3359/MPERC/2012. In exercise of powers conferred by Section 181 (2) (h) and 181(2) (zd) read with Sections 36 and 61 of the Electricity Act, 2003 (No.36 of 2003), the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations:

**MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
(TERMS AND CONDITIONS FOR DETERMINATION OF TRANSMISSION
TARIFF) (REVISION-II) REGULATIONS, 2012
{RG – 28 (II) OF 2012}**

PREAMBLE

Whereas the first control period of Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Transmission Tariff) Regulations, 2005 (G-28 of 2005) expired on 31st March, 2009, the Commission notified revision (RG-28(I) of 2009) of these Regulation dated 30th April, 2009 on 08th May 2009 to notify the principles and methodologies for second MYT control period from FY 2009-10 to FY 2011-12. The Commission vide IVth amendment dated 3rd February, 2012 extended the control period up to March, 2013. In order to specify the terms and conditions of Transmission tariff for the next control period of FY 2013-14 to FY 2015-16, these Regulations are being notified.

CHAPTER I – PRELIMINARY

1. **Short title and commencement :** 1.1 These Regulations shall be called “Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Transmission Tariff) (Revision-II) Regulations, 2012 {RG – 28(II) of 2012}”.
- 1.2 These Regulations shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh.
- 1.3 These Regulations shall come in force with effect from 01st April 2013 after publication in the Official Gazette of the Government of Madhya Pradesh and unless reviewed earlier or extended by the Commission, shall remain in force for a period up to 31st March 2016 from the date of commencement.

2. Scope and extent of application

- 2.1 These Regulations shall apply in all cases of determination of transmission Tariff under Section 62 of the Electricity Act, 2003 to be charged by the Transmission Licensee from Distribution Licensees / Open Access Customers, where the capacity of the Transmission System has been allocated under MPERC (Terms and Conditions for Intra-State Open Access in MP) Regulations, 2005, as amended from time to time, but shall not apply in such cases where transmission Tariff has been determined through transparent process of bidding in accordance with the guidelines issued by the Central Government as per the provisions of Section 63 of the Act.

3. Norms of Operation to be threshold norms

- 3.1. For removal of doubts, it is clarified that the norms of operation specified under these Regulations are the threshold norms and this shall not preclude the Transmission Licensee and Beneficiaries from agreeing to improved norms of operation and in such cases the improved norms as agreed to shall be applicable for determination of Tariff.

4. DEFINITIONS

- 4.1. In these Regulations, unless the context otherwise requires,

- (a) "Act" shall mean the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
- (b) "Accounting Statement" means for each financial year the following statements, namely-
- (i) Balance sheet, prepared in accordance with the form contained in Part I of Schedule VI to the Companies Act, 1956; together with notes thereto, and such other supporting statements and information as the Commission may direct from time to time;
 - (ii) Profit and loss account, complying with the requirements contained in Part II of Schedule VI to the Companies Act, 1956
 - (iii) Cash flow statement, prepared in accordance with the Accounting Standard on Cash Flow Statement (AS-3) of the Institute of Chartered Accountants of India;
 - (iv) Report of the Auditor(s) of the licensee
 - (v) Directors' report and accounting policies;
 - (vi) Cost records, if any, prescribed by the Central Government under Section 209(1)(d) of the Companies Act, 1956,

- (c) "Additional Capitalization" means the Capital Expenditure incurred or projected to be incurred, after the Date of Commercial Operation of the project and admitted by the Commission after prudent check, subject to provisions of Regulation 18.
- (d) "Applicant" means a Transmission Licensee who has made an application for determination of Tariff in accordance with these Regulations and includes a Transmission Licensee whose Tariff is subject to review by the Commission either suo motu or on a petition filed by any interested or affected person;
- (e) "Auditor" means an Auditor appointed by the Transmission Licensee in accordance with the provisions of Sections 224, 233(B) and 619 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or any other law for the time being in force;
- (f) "Availability" in relation to a Transmission System for a given period shall mean the time in hours during that period in which the Transmission System is capable of transmitting electricity at its declared voltage to the delivery point and shall be expressed in percentage of total hours in the given period;
- (g) "Beneficiary" shall mean Long-term, Medium-term or Short-term Transmission Customers whose tariff is determined under these Regulations;
- (h) "Change in law" means occurrence of any of the following events:
(i) the enactment, bringing into effect, adoption, promulgation, amendment, modification or repeal of any law; or
(ii) change in interpretation of any law by a competent court, Tribunal or Indian Governmental Instrumentality which is the final authority under law for such interpretation; or
(iii) change by any competent statutory authority, in any consent, approval or licence available or obtained for the project;
- (i) "Commission" shall mean the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission;
- (j) "Cut off date" means 31st March of the Year closing after two Years of commercial operation of the project, and in case the project is declared under commercial operation in the last quarter of a Year, the Cut off date shall be 31st March of the Year closing after three Years of the Year of commercial operation;
- (k) "Date of Commercial Operation (COD)" shall mean the date declared by the Transmission Licensee from 0000 hour of which an element of the Transmission System is in the regular service at its Rated Voltage level after successful charging and trial operation:

Provided that the date shall be the first day of a calendar month and transmission charge for the element shall be payable and its Availability shall be accounted for, from that date:

Provided further that in case an element of the transmission system is ready for regular service but is prevented from providing such service for reasons not attributable to the Transmission Licensee, its suppliers or contractors, the Commission may approve the Date of Commercial Operation prior to the element coming into regular service;

- (l) "Expenditure incurred" means the funds, whether the equity or debt or both, actually deployed and paid in cash or cash equivalent, for creation or acquisition of a useful asset and does not include commitments or liabilities for which no payment has been released;
- (m) "Existing Project" means the project declared under commercial operation from a date prior to 1.4.2013;
- (n) "Long-Term Transmission Customer" means a person having a long-term lien exceeding three years over an inter / intra-State Transmission System by virtue of paying transmission charges and a Distribution Licensee shall necessarily be a long-term user for which it will be required to enter into appropriate agreement with the Transmission Licensee;
- (o) "Medium-term Transmission Customer" means a person having a medium-term lien for means the period exceeding three months and upto three Years over an inter / intra-State Transmission System by virtue of paying transmission charges;
- (p) "Officer" means an Officer of the Commission;
- (q) "Operation and Maintenance expenses" or "O&M expenses" means the expenditure incurred on operation and maintenance of the project, including part thereof, and includes the expenditure on manpower, repairs, spares, consumables, insurance and overheads;
- (r) "Original Project Cost" means the capital expenditure incurred by the Transmission Licensee, within the original scope of the project up to the Cut off date, as admitted by the Commission;
- (s) "Project" means the Transmission System;
- (t) "Rated Voltage" means the manufacturer's design voltage at which the Transmission System is designed to operate or such lower voltage at which the transmission line is charged, for the time being, in consultation with Long-term Transmission Customers;

- (u) "Secretary" means Commission Secretary;
- (v) "Short-term Transmission Customer" in the context of usage of Transmission System means a person having short term lien for a period upto three months over an inter / intra-State Transmission System by virtue of paying transmission charges;
- (w) "Tariff" shall mean the schedule of charges for transmission of electricity together with terms and conditions thereof;
- (x) "Tariff Period" shall mean the period for which Tariff is determined by the Commission under these Regulations;
- (y) "Transmission Licensee" means a Licensee authorized to establish or operate intra- state transmission lines;
- (z) "Transmission Service Agreement" means the agreement, contract, memorandum of understanding, or any such covenants, entered into between the Transmission Licensee and the Long-Term Transmission Customer(s) for the use of Transmission System;
- (aa) "Transmission System" means a line with or without associated sub-stations or a group of lines inter-connected together along with or without associated sub-stations and the term includes equipment associated with transmission lines and sub-stations;
- (bb) "Transmission System Availability Factor" means Availability of the Transmission System as certified by the State Load Despatch Centre;
- (cc) "Useful life" in relation to a unit of a Transmission System from the COD shall mean 25 years for sub-station and 35 years for transmission line;
- (dd) "Year" shall mean financial year.

4.2. Words or expressions occurring in these Regulations and not defined shall bear the same meaning as in the Act.

5. Determination of Tariff

5.1. The Commission shall determine Tariff and charges including terms and conditions thereof under Section 62 of the Act read with Section 86 and Section 36 in the following cases: -

- (i) Intra-State transmission of electricity;

- (ii) Rates and charges for use of intervening transmission facilities, where these cannot be mutually agreed upon by the Licensees.

5.2. Notwithstanding anything contained in Part X of the Act, the Tariff for any inter- State transmission of electricity involving the territories of two States may, upon application made to it by the parties intending to undertake such transmission be determined by the Commission in cases where such system is intended to be used exclusively for benefit of the Licensee and that such Licensee is under the Commission's jurisdiction.

6. Principles for Tariff determination

- 6.1. The Commission, while specifying the terms and conditions for the determination of Tariff under these Regulations, is guided by the principles contained in section 61 of the Act.
- 6.2. These Regulations intend to encourage Transmission Licensee to operate on sound commercial principles. The Transmission Licensee shall be required to prepare their Accounting Statements as per the Company Law requirement, which shall be regularly submitted before the Commission as detailed in Regulation 9.1. The incentive allowed to the Transmission Licensee shall depend upon performance relative to the benchmark levels of the operating parameters fixed by the Commission. Only prudent capital expenditure shall be considered for inclusion in the asset base.
- 6.3. The Multi Year Tariff principles adopted in these Regulations seek to promote competition, adoption of commercial principles, efficient working of the Transmission Licensee and protection of Beneficiaries' interest. The operating and cost parameters for the Tariff Period have been prescribed after duly considering the past performance. The allowable Tariffs shall be determined in accordance with these norms. The Transmission Licensee is allowed to retain savings as a reward for performance better than those prescribed in these Regulations. This is expected to incentivise the Transmission Licensee for efficient performance and economical use of resources.
- 6.4. Only those investments and capital expenditure that are in accordance with the guidelines issued by the Commission in this regard shall be allowed to be recovered through Tariff. This shall ensure prudent investments by the Transmission Licensee.

7. Procedure for making an application for determination of Tariff

- 7.1. An application for determination of Tariff shall be made in accordance with the manner specified in these Regulations and shall be accompanied by such fees as may be specified.

7.2. The Commission shall, at all times, have the authority, either Suo-Motu or on a petition filed by any interested or affected party, to determine the Tariff, including terms and conditions thereof, of Transmission Licensee and shall initiate the process of such determination in accordance with the procedure as may be specified:

Provided that the proceedings for such determination of Tariff, including terms and conditions thereof, shall be in the same manner as set out in the Conduct of Business Regulations, as amended from time to time.

7.3. The Applicant shall provide, as part of the application to the Commission, information in such formats, in hard and soft copy, as may be required by the Commission.

7.4. The Commission or the Secretary or any Officer designated for the purpose by the Commission may, upon scrutiny of the application, require the Applicant to furnish such additional information or particulars or documents as may be considered necessary for the purpose of processing the application.

7.5. Upon receipt of the complete application accompanied by all requisite information, particulars and documents in compliance with all the requirements, the application shall be deemed to have been received and the Commission or the Secretary or the Officer designated for the purpose by the Commission shall intimate to the Applicant that the application is ready for publication, in such abridged form and manner, as may be specified [Refer MPERC (Details to be furnished and fees payable by licensee or generating company for determination of Tariff and manner of making an application) Regulation 2004 as amended from time to time]. The Transmission Licensee shall put all the details of the petition filed before the Commission on its website not later than 3 working days of its acceptance by the Commission.

7.6. The Applicant shall furnish to the Commission all such books and records (or certified true copies thereof), including the Accounting Statements, operational and cost data, as may be required by the Commission for determination of Tariff.

7.7. The Commission may, if deemed necessary, make available to any person, at any time, such information as has been provided by the Applicant to the Commission including abstracts of such books and records (or certified true copies thereof)

Provided that the Commission may, by order, direct that any information, documents and papers/materials maintained by the Commission, shall be confidential or privileged and shall not be available for inspection or supply of certified copies, and the Commission may also direct that such document, papers or materials shall not be used in any manner except as specifically authorised by the Commission.

8. Methodology for Determination of Tariff and True-up

8.1. The Commission shall define Tariff Period for the Transmission Licensee from time to time. The principles for Tariff determination shall be applicable for the duration of the Tariff Period. The principles that guide tariff determination for the next tariff period shall be valid for a period upto March, 2016 from the date of commencement of these Regulations.

- 8.2. Tariff in respect of Transmission Licensee shall be determined for the entire Transmission System of the Licensee.
- 8.3. A Transmission Licensee shall file a petition at the beginning of the Tariff Period. A review shall be undertaken by the Commission to scrutinise and true up the Tariff on the basis of the capital expenditure and additional capital Expenditure incurred in the Year for which the true up is being requested. However, in such true up, any abnormal and uncontrollable variation can also be considered at the Commission's discretion.
- 8.4 If the Tariff already recovered is more than the Tariff determined after true-up, the Transmission Licensee shall refund to the Long-term transmission Beneficiaries the excess amount so recovered along-with simple interest at the rate equal to the State Bank of India's Base Rate as on 1st of April of that year plus 3.50%. Similarly, in case the Tariff already recovered is less than the Tariff determined after true-up, the Transmission Licensee shall recover from the Long-term transmission Beneficiaries, the under recovered amount along with simple interest at the rate equal to the State Bank of India's Base Rate as on 1st April of that year plus 3.50% subject to adhering to the timelines specified by the Commission for filing of True-up Application. In case, it is found that the filing of True-up is delayed due to the reasons attributable to the Transmission Licensee, the under recovery shall not bear any interest.
- 8.5. The Tariff and True up filing in hard and soft copy shall be in accordance with and in the formats prescribed in MPERC (Details to be furnished and fees payable by licensee or generating company for determination of Tariff and manner of making an application) Regulations, 2004 (as amended from time to time) by 15th November every year or within 30 days of notification of the concerned Regulations, whichever is later.

9. Preparation & submission of Annual Accounts, Reports etc

- 9.1. Every Transmission Licensee shall submit annual statement of accounts and such other information as may be specified by the Commission. In addition to the submission of annual accounts, the Transmission Licensee shall be required to comply with the information requirements of various Regulations and license conditions notified by the Commission from time to time.
- 9.2. In the absence of submission of the required information by the Transmission Licensee, the Commission may initiate Suo-motu proceedings.

10. Periodicity of Tariff determination

- 10.1. No Tariff or part of any Tariff may ordinarily be amended, more frequently than once in any Year. The Commission may, after satisfying itself for reasons to be recorded in writing, may allow for the revision of Tariff.

- 10.2. Subject to other provisions of these Regulations, the expenses allowed to be recovered for any Year, shall be subject to adjustments in any tariff to be determined for the subsequent period if the Commission is satisfied that such adjustment for the excess amount or shortfall in the amount actually realized or expenses incurred is necessary and the same is not on account of any reason attributable and within the control of the Transmission Licensee.

11. Hearings

- 11.1. The procedure of hearing on the Tariff application shall be as specified in MPERC (Details to be furnished and fees payable by licensee or generating company for determination of Tariff and manner of making an application) Regulations 2004, as amended from time to time.

12. Orders of the Commission

- 12.1. The Commission, after the petition has been filed, may require the Transmission Licensee to furnish any further information, particulars, documents, public records etc as the Commission may consider appropriate to enable the Commission to review the petitioner's calculations, assumptions and assertions.
- 12.2. After receipt of information or otherwise, the Commission may make appropriate orders in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Details to be furnished and fees payable by licensee or generating company for determination of Tariff and manner of making an application) Regulations, 2004 as amended from time to time.

13. Charging of Tariff other than approved

- 13.1. Any Transmission Licensee found to be charging a Tariff different from the one approved by the Commission from Beneficiaries shall be deemed to have not complied with the directions of the Commission and shall be liable to be proceeded against under Section 142 of the Act without prejudice to any other liability becoming due from the licensee under any other provisions of the Act. In case the amount recovered exceeds the amount allowed by the Commission, the excess amount so recovered shall be refunded to the Beneficiaries who have paid such excess charges, along with simple interest for that period equivalent to the State Bank of India's Base Rate as on 1st of April of that year plus 3.50% besides any other penalty that may be imposed by the Commission."

14. Annual review of Transmission Licensee

- 14.1. The Transmission Licensee shall submit periodic returns as may be specified, containing operational and cost data to enable the Commission to monitor the implementation of its order.
- 14.2. The Transmission Licensee shall submit to the Commission annual statements of its performance and accounts including latest report of audited accounts.

CHAPTER II

PRINCIPLES & METHODOLOGY FOR DETERMINATION OF TARIFF

15. Petition for determination of Tariff

- 15.1. The Transmission Licensee shall file a petition accompanied by such forms as may be specified for determination of Tariff complying with provisions of Chapter I of these Regulations and MPERC (Details to be furnished and fee payable by licensee or generating company for determination of Tariff and manner of making application) Regulations 2004, as amended from time to time, based on the principles specified by the Commission in these Regulations. These principles shall be implemented from the date of commencement of these Regulations and shall be applicable for a period upto March, 2016.
- 15.2. The Transmission Licensee shall continue to provisionally bill the Beneficiaries or the Long-term Customers based on Tariff approved by the Commission and applicable as on 31.03.2013 for the period starting from 01.04.2013 till approval of Tariff by the Commission in accordance with these Regulations:

Provided that where the Tariff Provisionally billed exceeds or falls short of the final Tariff approved by the Commission under these Regulations, the Transmission Licensee shall refund to or recover from the Beneficiaries or the Transmission Customers, as the case may be, within six months from the date of determination of final Tariff under these Regulations alongwith simple interest at the rate equal to the State Bank of India's Base Rate as on 1st of April of that year plus 3.50%."

16. CERC's Principles

- 16.1. The Commission while framing these Regulations has been guided by the principles and methodologies specified by the Central Commission (CERC) in its notification dated 19.1.2009 on Terms and Conditions of Tariff Regulation, 2009 effective from 1.04.2009.

17. Capital Cost and Capital structure

- 17.1. Capital cost for a Project shall include:

- (a) the Expenditure incurred or projected to be incurred on original scope of work, including interest during construction and financing charges, any gain or loss on account of foreign exchange rate variation during construction on the loan - (i) being equal to 70% of the funds deployed, in the event of the actual equity in excess of 30% of the funds deployed, by treating the excess equity as normative loan, or (ii) being

equal to the actual amount of loan in the event of the actual equity less than 30% of the funds deployed, up to the Date of Commercial Operation of the Project, as admitted by the Commission after prudent check, shall form the basis for determination of Tariff.

- (b) Capitalized initial spares subject to the following ceiling norms:
- (i) Transmission line- 0.75% of Original Project cost
 - (ii) Transmission substation- 2.5% of Original Project cost
 - (iii) Series compensation devices- 3.5 % of Original Project cost
- (c) Additional capital expenditure determined under Regulation 18:

Provided that the assets forming part of the Project but not in use shall be taken out of the capital cost.

17.2. The capital cost admitted by the Commission after prudent check shall form the basis for determination of Tariff:

Provided that in case of individual transmission project, prudent check of capital cost may be carried out based on the benchmark norms specified by the Central Commission from time to time:

Provided further that in cases where benchmark norms specified by the Central Commission are not applied, prudent check may include scrutiny of the reasonableness of the capital expenditure, financing plan, interest during construction, use of efficient technology, cost over-run and time over-run, and such other matters as may be considered appropriate by the Commission for determination of Tariff:

Provided also that where the Transmission Service Agreement provide for ceiling of actual expenditure, the capital expenditure admitted by the Commission shall take into consideration such ceiling for determination of Tariff:

Provided also that in case of the Existing Projects, the capital cost admitted by the Commission prior to 1.4.2013 and the additional capital expenditure projected to be incurred for the respective Year of the Tariff period during 2013-16, as may be admitted by the Commission, shall form the basis for determination of capital cost.

17.3. Scrutiny of the cost estimates by the Commission shall be with regard to the reasonableness of the capital cost, financing plan, interest during construction, use of efficient technology, and such other matters. The Commission may obtain expert advice as deemed necessary.

- 17.4. Restructuring of capital cost in terms of relative share of equity and loan component shall be permitted during the Tariff Period provided it does not affect Tariff adversely. Any benefit from such restructuring shall be passed on to long term intrastate Open Access customers of Transmission Licensee in a ratio as may be specified by the Commission.

18. Additional capitalization

- 18.1. The capital Expenditure incurred or projected to be incurred, on the following counts within the original scope of work, after the Date of Commercial Operation may be admitted by the Commission, subject to prudent check:

- (a) Undischarged liabilities,
- (b) Works deferred for execution,
- (c) Liabilities to meet award of arbitration or for compliance of order or decree of a court,
- (d) Change in law, and
- (e) Procurement of initial capital spares within the original scope of work, subject to the provisions of Regulation 17.1 (b):

Provided that the details of works included in the original scope of work along with estimates of expenditure, undischarged liabilities and works deferred for execution shall be submitted along with the application for Tariff.

- 18.2. The capital expenditure of the following nature actually incurred after the Cut off date may, in its discretion, be admitted by the Commission, subject to prudent check:

- (a) liabilities to meet award of arbitration or for compliance of the order or decree of a court;
- (b) Change in law, and
- (c) any additional expenditure on items such as relays, control and instrumentation, computer system, power line carrier communication, DC batteries, replacement of switchyard equipment due to increase of fault level, emergency restoration system, insulators cleaning infrastructure, replacement of damaged equipment not covered by insurance and any other expenditure which has become necessary for successful and efficient operation of Transmission System:

19. Renovation and Modernisation

- 19.1. The Transmission Licensee for meeting the expenditure on Renovation and Modernization (R&M) for the purpose of extension of life beyond the useful life of the Transmission System, shall make an application before the Commission for approval of the proposal with a detailed project report giving complete scope, justification, cost-benefit analysis, estimated life extension from a reference date, financial package, phasing of expenditure, schedule of completion, reference price level, estimated completion cost including foreign exchange component, if any, consent of Beneficiaries and any other information considered to be relevant by the Transmission Licensee.
- 19.2. Where the Transmission Licensee makes an application for approval of R&M proposal, the approval shall be granted after due consideration of reasonableness of the cost estimates, financing plan, schedule of completion, interest during construction, use of efficient technology, cost-benefit analysis, and such other factors as may be considered relevant by the Commission.
- 19.3. Any Expenditure incurred or projected to be incurred as admitted by the Commission after prudent check based on the estimates of Renovation and Modernization expenditure and life extension, and after writing off the original amount of the replaced assets and deducting the accumulated depreciation including advance against depreciation already recovered from the Original project cost, shall form the basis for determination of Tariff.

20. Debt-equity ratio

- 20.1. For a Project declared under commercial operation on or after 1.4.2013, if the equity actually deployed is more than 30% of the capital cost, equity in excess of 30% shall be treated as normative loan:

Provided that where equity actually deployed is less than 30% of the capital cost, the actual equity shall be considered for determination of Tariff.

Provided further that the equity invested in foreign currency shall be designated in Indian rupees on the date of each investment.

Explanation- The premium, if any, raised by the Transmission Licensee, while issuing share capital and investment of internal resources created out of its free reserve, for the funding of the Project, shall be reckoned as paid up capital for the purpose of computing return on equity, provided such premium amount and internal resources are actually utilized for meeting the capital expenditure of the Transmission System.

- 20.2. In case of the Transmission System declared under commercial operation prior to 1.4.2013, debt-equity ratio allowed by the Commission for determination of Tariff for the period ending 31.3.2013 shall be considered.

- 20.3. Any Expenditure incurred or projected to be incurred on or after 1.4.2013 as may be admitted by the Commission as additional capital expenditure for determination of Tariff and Renovation and Modernisation expenditure for life extension shall be serviced in the manner specified in regulation 20.1.

21. Transmission Tariff

- 21.1. The Tariff for transmission of electricity on intra-State Transmission System shall comprise transmission charge for recovery of annual fixed cost consisting of the components specified in Regulation 22.

22. Annual Fixed Cost

- 22.1. The Annual Fixed Cost (AFC) of a Transmission System shall consist of the following components --

- (a) Return on equity;
- (b) Interest and finance charges on loan capital;
- (c) Depreciation;
- (d) Lease/ Hire Purchase charges;
- (e) Interest on working capital; and
- (f) Operation and maintenance expenses.

23. Return on Equity

- 23.1. Return on equity shall be computed in rupee terms, on the paid up equity capital determined in accordance with Regulation 20.
- 23.2. Return on equity shall be computed on pre-tax basis at the base rate of 15.5% to be grossed up as per clause 23.3 of this Regulation:

Provided that in case of Projects commissioned on or after 1st April, 2013, an additional return of 0.5% shall be allowed if such projects are completed within the timeline specified in **Appendix-I**:

Provided further that the additional return of 0.5% shall not be admissible if the Project is not completed within the timeline specified above for reasons whatsoever.

- 23.3. The rate of return on equity shall be computed by grossing up the base rate with the normal tax rate for the Year 2012-13 applicable to the Transmission Licensee:

Provided that return on equity with respect to the actual tax rate applicable to the

Transmission Licensee in line with the provisions of the relevant finance acts of the respective year during the Tariff Period shall be tried up separately for each year of the Tariff Period.

- 23.4 Rate of return on equity shall be rounded off to three decimal points and be computed as per the formula given below:

Rate of pre-tax return on equity = Base rate / (1-t)

Where t is the applicable tax rate in accordance with clause 23.3 of this Regulation.

Illustration.-

(i) In case of the Transmission Licensee paying Minimum Alternate Tax (MAT) say, @ 20.1 including surcharge and cess:

Rate of return on equity = $15.50 / (1 - 0.201) = 19.38\%$

(ii) In case of the Transmission Licensee paying normal corporate tax say, @ 33.99% including surcharge and cess:

Rate of return on equity = $15.50 / (1 - 0.3399) = 23.481\%$

24. Interest and finance charges on loan capital

- 24.1. The loans arrived at in the manner indicated in Regulation 20 shall be considered as gross normative loan for calculation of interest on loan.
- 24.2. The normative loan outstanding as on 1.4.2013 shall be worked out by deducting the cumulative repayment as admitted by the Commission up to 31.3.2013 from the gross normative loan.
- 24.3. The repayment for each Year of the Tariff period 2013-16 shall be deemed to be equal to the depreciation allowed for that Year.
- 24.4. Notwithstanding any moratorium period availed by the Transmission Licensee, the repayment of loan shall be considered from the first Year of commercial operation of the Project and shall be equal to the annual depreciation allowed.
- 24.5. The rate of interest shall be the weighted average rate of interest calculated on the basis of the actual loan portfolio at the beginning of each Year applicable to the Project:

Provided that if there is no actual loan for a particular Year but normative loan is still outstanding, the last available weighted average rate of interest shall be considered.

Provided further that if the Transmission System, does not have actual loan, then the weighted average rate of interest of the Transmission Licensee as a whole shall be considered.

- 24.6. The interest on loan shall be calculated on the normative average loan of the Year by applying the weighted average rate of interest.

- 24.7. The Transmission Licensee shall make every effort to re-finance the loan as long as it results in net savings on interest and in that event the costs associated with such re-financing shall be borne by the Beneficiaries and the net savings shall be shared between the Beneficiaries and the Transmission Licensee, in the ratio of 2:1.
- 24.8. The changes to the terms and conditions of the loans shall be reflected from the date of such re-financing.
- 24.9. In case of dispute, any of the parties may make an application in accordance with the MPERC (Conduct of Business) Regulation, 2004, as amended from time to time:

Provided that the Transmission Customers shall not withhold any payment on account of the interest claimed by the Transmission Licensee during the pendency of any dispute arising out of re-financing of loan.

25. Depreciation

25.1. For the purpose of Tariff, depreciation shall be computed in the following manner:

- (a) The value base for the purpose of depreciation shall be the capital cost of the assets as admitted by the Commission
- (b) The approved/accepted cost shall include foreign currency funding converted to equivalent rupee at the exchange rate prevalent on the date of foreign currency actually availed.
- (c) The salvage value of the asset shall be considered as 10% and depreciation shall be allowed up to maximum of 90% of the capital cost of the asset.
- (d) Land other than land held under lease shall not be a depreciable asset and its cost shall be excluded from the capital cost while computing depreciable value of the asset.
- (e) Depreciation shall be calculated annually based on 'Straight Line Method' and at rates specified in Appendix-II to these Regulations for the assets of the Transmission System.

Provided that, the remaining depreciable value as on 31st March of the Year closing after a period of 12 Years from Date of Commercial Operation shall be spread over the balance useful life of the assets.

Provided further that the Consumer contribution or capital subsidy/ grant etc for asset creation shall be treated as per the Accounting Rules notified and in force from time to time.

- (f) In case of the existing Projects, the balance depreciable value as on 1.4.2013 shall be worked out by deducting the cumulative depreciation including Advance Against Depreciation as admitted by the Commission upto 31.3.2013 from the gross depreciable value of the assets. The rate of Depreciation shall be continued to be charged at the rate specified in Appendix-II till cumulative depreciation reaches 70%. Thereafter, the

remaining depreciable value shall be spread over the remaining life of the asset such that the maximum depreciation does not exceed 90%.

- (g) Depreciation shall be chargeable from the first Year of commercial operation. In case of commercial operation of the asset for part of the Year, depreciation shall be charged on *pro rata* basis.

26. Lease/ Hire Purchase charges

- 26.1. Lease charges for assets taken on lease by Transmission Licensee shall be considered as per lease agreement provided the charges are considered reasonable by the Commission.

27. Operation & Maintenance expenses

- 27.1. Operation and Maintenance expenses shall be determined for the Tariff Period based on normative O&M expenses specified by the Commission in these Regulations.
- 27.2. Normative O&M expenses other than expenses on payment of arrears to employees on account of revision of pay scales of the employees in accordance with Sixth Pay Commission recommendations, as implemented by the State Transmission Utility at the commencement of the Tariff Period have been escalated at the rate of 7.93% considering a weighted average of Wholesale Price Index and Consumer Price Index in the ratio of 60: 40.
- 27.3. On examination of the details gathered from MPPTCL regarding transmission network parameters being considered for calculation of normative expenses and actual expenditure from FY 2007-08 to FY 2010-11 and the expenditure assessed by MPPTCL for FY 2011-12 (on account of non availability of the audited balance sheet for FY 2011-12) in respect of Employee expenses, Repair & Maintenance expenses and Administrative & General expenses, it was found that the normative O&M expenses allowed in the last control period was higher than the actual expenditure incurred by MPPTCL. The actual O&M expenses had been 89.6% of the normative O&M expenses. The Commission has considered the actual expenses for FY 2010-11 as base figures, linked them with the parameters used for calculation of normative O&M expenses, multiplied it with annual escalation factor of 6.14% till FY 2012-13 (up to last control period) and thereafter @ 7.93 % to arrive at the normative O&M norms for the period of present control period of FY 2013-14 to FY 2015-16.
- 27.4. The Commission has notified MPERC (Terms and Condition for allowing Pension and Terminal Liabilities of Personal of Board and Successor Entities) Regulations, 2012 (G-38 of 2012) on 20th April, 2012. The expenses towards pension and terminal liabilities will be allowed as per the provisions of aforesaid Regulations.
- 27.5. Increase in O&M charges on account of war, insurgency or changes in laws, or like eventualities where the Commission is of the opinion that an increase in O&M charges is justified, may be considered by the Commission for a specified period.
- 27.6. Any saving achieved by a Licensee in any Year shall be allowed to be retained by it. The Licensee shall bear the loss if it exceeds the targeted O&M expenses for that Year.

28. Interest charges on working capital

- 28.1. Rate of interest on working capital to be computed as provided subsequently in these Regulations shall be on normative basis and shall be equal to the State Bank of India's Base Rate as on 1st of April of that year plus 3.50%. The interest on working capital shall be payable on normative basis notwithstanding that the Licensee has not taken working capital loan from any outside agency or has exceeded the working capital loan based on the normative figures.

29. Foreign Exchange Rate Variation (FERV)

- 29.1. The Transmission Licensee may hedge foreign exchange exposure in respect of the interest on foreign currency loan and repayment of foreign loan acquired for the Transmission System, in part or full at the discretion of the Transmission Licensee.
- 29.2. Every Transmission Licensee shall recover the cost of hedging of Foreign Exchange Rate Variation corresponding to the normative foreign debt, in the relevant Year on year-to-year basis as expense in the period in which it arises and extra rupee liability corresponding to such Foreign Exchange Rate Variation shall not be allowed against the hedged foreign debt.
- 29.3. To the extent the Transmission Licensee is not able to hedge the foreign exchange exposure, the extra rupee liability towards interest payment and loan repayment corresponding to the normative foreign currency loan in the relevant Year shall be permissible provided it is not attributable to the the Transmission Licensee or its suppliers or contractors.
- 29.4. The Transmission Licensee shall recover the cost of hedging and Foreign Exchange Rate Variation on year-to-year basis as income or expense in the period in which it arises.

30. Tax on Income

- 30.1. Tax on Income streams of the Transmission Licensee shall not be recovered from the Transmission Customers:

Provided that the deferred tax liability, excluding Fringe Benefit Tax, for the period up to 31st March, 2013 whenever it materializes, shall be recoverable directly from the Long-term Customers.

31. Tariff income

- 31.1. Income from all charges determined by the Commission for transmission of electricity shall be considered as Tariff income. Tariff income shall include transmission charge, reactive energy charge and other charges as may be specified by the Commission.

32. Non-Tariff Income

- 32.1. A schedule for other income as provided in the schedule of Miscellaneous Charges and General Charges under MPERC (Details to be furnished by licensees for determination of Tariff and manner of making an application) Regulation 2004 as amended from time to time shall be classified under 'Non-Tariff Income'. The non-tariff income shall include income from investments, Fixed and other deposits and any other non-tariff income.
- 32.2. Revenue from other business shall be treated as income to the extent authorized by the Commission under Section 41 of the Act.

33. Late payment surcharge

- 33.1. In case the payment of bills of transmission and other charges are delayed beyond a period of 60 days from the date of presentation of bills, a Transmission Licensee may levy a late payment surcharge at the rate of 1.25% per month for each day of delay of payment.

34. Rebate

- 34.1. For payment of transmission charges through a letter of credit on presentation, a rebate of 2% shall be allowed. If the payment is made by any other mode but within a period of one month of presentation of bills by the Transmission Licensee, a rebate of 1% shall be allowed.

35. Business Plan and Capital Investment

- 35.1. The Transmission Licensee shall file a detailed capital investment plan, financing plan and physical targets in accordance with guidelines issued by the Commission in this regard for meeting the requirement of load growth, reduction in transmission losses, improvement in quality of supply, reliability, metering etc.
- 35.2. The Capital Investment plan shall show separately, on going Projects that will spill into the Year under review and new Project (along with justification) that will commence but may be completed within or beyond the Tariff Period. The Transmission Licensee shall enter into Long-term agreements with Beneficiaries for whom the proposed capital works (schemes) will provide exclusive benefit for upstream and down stream interconnections. Such specific schemes shall be submitted to the Commission for its approval only after the agreements with the Beneficiaries have been executed. The facility shall be made available to such Long-term Beneficiaries and Distribution Licensees only after they enter into Long-term agreement for use of transmission capacity with the Transmission Licensee.
- 35.3. The Commission shall consider and approve the Licensee's capital investment plan for which the Licensee shall be required to provide relevant technical and commercial details. The Licensee shall get the Capital Investment Plan approved by the Commission before filing the Tariff application.
- 35.4. The proportion for debt and equity for the approved capital investment shall be as per Regulation 20.

CHAPTER III Transmission Systems

36. Norms of operation

- 36.1. **Normative Annual Transmission System Availability factor (NATSAF):** for recovery of full transmission charges shall be as under:

AC system: 98.0% for the Tariff Period.

- 36.2 The auxiliary consumption in the sub-station for the purpose of air-conditioning, lighting, technical consumption, etc. shall be considered as part of transmission losses.

37. Operation & maintenance (O&M) expenses

- 37.1. The O&M expenses comprise of employee cost, repairs & maintenance (R&M) cost and administrative & general (A&G) cost. The norms for O&M expenses have been fixed on the basis of circuit kilometers of transmission lines and number of bays in substation. These norms exclude Pension, Terminal Benefits, incentive and arrears to be paid to employees, taxes payable to the Government and fee payable to MPERC. The Transmission Licensee shall claim the taxes payable to the Government, fees to be paid to MPERC and any arrears paid to employees separately as actuals. The claim of pension and terminal benefits shall be dealt-with as per Regulation 27.4. The norms for O&M expenses per 100 ckt-km and per bay shall be as under:

Norms for O&M expenses per 100 Ckt. km and per bay

S. No.	Particulars	FY 2013-14	FY 2014-15	FY 2015-16
	Lines	Rs. Lakh / 100ckt km / annum		
1.	400 kV Lines	33.6	36.2	39.1
2.	220 kV Lines	27.0	29.2	31.5
3.	132 kV Lines	25.4	27.4	29.6
	Bays	Rs. Lakh / Bay / annum		
1.	400 kV Bay	15.5	16.7	18.0
2.	220 kV Bay	11.5	12.5	13.5
3.	132 kV Bay	10.9	11.8	12.7

- 37.2. The total allowable O&M expenses for the Transmission Licensee shall be calculated by multiplying the average number of bays and 100 ckt -km of line length for the Year with the applicable norms for O&M expenses per bay and per 100 ckt-km respectively. In support of its claim for allowable O&M expenses, the Licensee shall submit before the Commission, the actual or projected circuit

kilometers of line lengths and number of bays for each voltage level separately for each Year of the Tariff Period as the case may be.

37.3. The terminal benefits shall be paid as provided in Regulation 27.4.

38. Working capital

38.1. For each Year of the Tariff Period working capital shall cover the following:

- (1) Maintenance spares @ 15% of the O&M expenses specified in Regulation 37.1;
- (2) Receivables equivalent to two months of transmission charges calculated on Target Availability Level; and
- (3) Operation and Maintenance expenses for one month.

39. Annual Transmission Charges (TSC)

39.1. The total annual expenses and expected return on equity of a Transmission Licensee shall be worked out on the basis of expenses and return allowed in terms of Regulations 17 to 30 read with Regulations 36 to 38.

39.2. The Transmission Licensee shall be entitled to recover its Annual Transmission Charges (TSC) from beneficiaries as specified in Regulation 40 & 41.

40. Recovery of Fixed Charges

40.1. The fixed cost of the Transmission System shall be computed on annual basis, in accordance with norms contained in these Regulations, aggregated as appropriate, and recovered on monthly basis as transmission charge from the users, who shall share these charges in the manner specified in these Regulations.

40.2. In case of the Transmission System, the transmission charge (inclusive of incentive) payable for a calendar month shall be

$$(AFC \times NDM / NDY) \times (TAFM / NATSAF) \text{ (in Rs.)}$$

Where

AFC = Annual Fixed cost specified for the Year, in Rupees

TAFM = Transmission System Availability Factor for a month in % computed in accordance with Appendix III

NATSAF = Normative Annual Transmission System Availability Factor in %, as specified in Regulation 36.1.

NDM = Number of days in a Month

NDY = Number of days in a Year

Provided that the Transmission Licensee shall raise the bill for transmission charge (inclusive of incentive) for a month based on its estimate of TAFM. Adjustments, if any shall be made on the basis of the TAFM to be certified by the SLDC within 30 days from the last day of the relevant month.

41. Sharing and Payment of Transmission Charges (TSC) by Beneficiaries

41.1. If a Transmission System has been created for a particular Long-Term Transmission Beneficiary including dedicated transmission line(s) for a generating station, transmission charges for such Transmission System shall be payable by that Long-Term Transmission Beneficiary.

41.2. For Intra-State Transmission System, the monthly transmission charges shall be pooled for sharing by Long-Term Transmission Customers in accordance with the following formula:

Transmission Charges for intra-state system payable for a month by a Long-term Transmission Customer of that Transmission System

$$= (AFC \times NDM / NDY) \times CL / SCL$$

Where

AFC = Annual Fixed cost specified for the Year, in Rupees

NDM = Number of days in a Month

NDY = Number of days in a Year

CL = Allotted Transmission Capacity to the Long-Term Transmission Customer

SCL = Sum of the Allotted Transmission Capacities to all the Long-Term Transmission Customers of the State Transmission System.

41.3. Medium-term users of the Intra-State Transmission System shall pay the charge in proportion to the MW for which Medium term usage has been approved by the State Transmission Utility for that month.

41.4. The short term Beneficiaries shall pay the charges according to Madhya Pradesh Regulatory Commission (Terms and Conditions for Intra-State Open Access in Madhya Pradesh) Regulations 2005 as amended from time to time.

41.5. Transmission charges corresponding to any plant capacity for which a Beneficiary has not been identified and contracted shall be paid by the concerned Generating company.

- 41.6 Section 5.8.10 of the National Electricity Policy provides for efforts to reduce T&D losses. The Government of MP has prescribed loss trajectory for Distribution Companies. The Commission had specified Distribution loss level trajectory in Regulations for Distribution Tariff. Though the Government of MP has not specified trajectory for Transmission loss, the Commission hereby sets a trajectory based on actual transmission loss of previous years, so that a reference value is available for benchmarking and for Tariff related issues.

The Transmission loss target for the control period is tabulated as under:

Target Transmission Losses in Percentage			
FY	2013-14	2014-15	2015-16
Percentage	3.16%	2.97%	2.78%

CHAPTER IV MISCELLANEOUS

- 42 The proceeds of carbon credit from approved Clean Development Mechanism (CDM) project shall be shared in the following manner, namely-
- (a) 100% of the gross proceeds on account of CDM to be retained by the project developer in the first Year after the Date of Commercial Operation of the Transmission System
 - (b) in the second Year, the share of the Beneficiaries shall be 10% which shall be progressively increased by 10% every Year till it reaches 50%, whereafter the proceeds shall be shared in equal proportion, by the Transmission Licensee and the Beneficiaries.

43 Deviation from norms

- 43.1 The transmission charges by the Transmission Licensee may also be determined in deviation of the norms specified in these Regulations subject to the conditions that-
- (a) The levelised Tariff over the useful life of the Project, calculated based on the discounting factor as notified by the CERC from time to time for the Projects under Section 63 of the Act, on the basis of the norms in deviation does not exceed the levelised Tariff calculated on the basis of the norms specified in these Regulations; and
 - (b) Any deviation shall come into effect only after approval by the Commission, for which an application shall be made by the Transmission Licensee before filing tariff petition / ARR for determination of Tariff.

44 Power to remove difficulties

- 44.1 If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or special order, do or undertake or direct the licensees to do or undertake things, which in the opinion of the Commission is necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

45 Power to Amend

- 45.1 The Commission may, at any time add, vary, alter, modify or amend any provisions of these Regulations.

46 Repeal and Savings

- 46.1 The Regulations namely "Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for determination of Transmission Tariff) (Revision-I) Regulations, 2009 {RG-28 (I) of 2009}" published vide Notification No.906/MPERC/2009 dated 30.04.2009 in the Gazette dated 08/05/2009 and read with all amendments thereto, as applicable to the subject matter of these Regulations is hereby superceded.
- 46.2 Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission to make such orders as may be necessary for ends of justice to meet or to prevent abuses of the process of the Commission.
- 46.3 Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting, in conformity with the provisions of the Act, a procedure, which is at variance with any of the provisions of this Regulation, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters.
- 46.4 Nothing in these Regulations shall, expressly or impliedly, bar the Commission dealing with any matter or exercising any power under the Act for which no Regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner it thinks fit.

By order of the Commission,
P. K. CHATURVEDI, Commission Secretary.

Appendix - I**Timeline for completion of Projects**
(Regulation 23)

1. The completion time schedule shall be reckoned from the date of issue of tenders by the Transmission Licensee up to the Date of Commercial Operation of the units or block or element of transmission Project as applicable.
2. The time schedule has been indicated in months in the following paragraphs and tables:

Transmission Work	Plain Area (months)	Hilly Terrain (months)
400 KV D/C Quad Transmission line	32	38
400 KV D/C Triple Transmission line	30	36
400 KV D/C Twin Transmission line	28	34
400 KV S/C Twin Transmission line	24	30
220 KV D/C Twin Transmission line	28	34
220 KV D/C Transmission line	24	30
220 KV S/C Transmission line	20	26
New 220 KV AC Sub-Station	18	21
New 400 KV AC Sub-Station	24	27
132 KV Transmission Line	16	22
New 132 KV AC Sub-Station	12	16

Notes:

- (i) In case a scheme having combination of the above mentioned types of Projects, the qualifying time schedule of the activity having maximum time period shall be considered for the scheme as a whole.
- (ii) In case a transmission line falls in plain as well as hilly terrain/ very difficult terrain, the composite qualifying time schedule shall be calculated giving proportional weightage to the line length falling in each area.

Appendix – II**Depreciation Schedule**

Sr. No.	Asset Particulars	Depreciation Rate (Salvage Value=10%) Straight Line Method
A	Land under full ownership	0.00%
B	Land under lease	
a	for investment in the land	3.34%
b	For cost of clearing the site	3.34%
C	Assets purchased new	
a	Building & Civil Engineering works of	
(i)	Offices and showrooms	3.34%
(ii)	Temporary erections such as wooden structures	100.00%
(iii)	Roads other than Kutcha roads	3.34%
(iv)	Others	3.34%
b	Transformers, Kiosk, sub-station equipment & other fixed apparatus (including plant)	
(i)	Transformers including foundations having rating of 100 KVA and	5.28%
(ii)	Others	5.28%
c	Switchgear including cable connections	5.28%
d	Lightning arrestor	
(i)	Station type	5.28%
(ii)	Pole type	5.28%
e	Synchronous condenser	5.28%
f	Batteries	5.28%
(i)	Underground cable including joint boxes and disconnected boxes	5.28%
(ii)	Cable duct system	5.28%
(g)	Overhead Lines on fabricated steel operating at terminal voltages of upto and higher than 66 KV	5.28%
(h)	Meters	5.28%
(i)	Self propelled vehicles	9.50%
(j)	Air Conditioning Plants	
(i)	Static	5.28%
(ii)	Portable	9.50%
k(i)	Office furniture and furnishing	6.33%
k (ii)	Office equipment	6.33%
k(iii)	Internal wiring including fittings and apparatus	6.33%
k (iv)	Street Light fittings	5.28%
(l)	Apparatus let on hire	
(i)	Other than motors	9.50%
(ii)	Motors	6.33%
(m)	Communication equipment	
(i)	Radio and high frequency carrier system	6.33%
(ii)	Telephone lines and telephones	6.33%
(n)	I. T equipments	15.00%
(o)	Any other assets not covered above	5.28%

Appendix – III**Procedure for Calculation of Transmission System Availability Factor for a Month**

1. Transmission system Availability factor for a calendar month (TAFM) shall be calculated by the respective Transmission Licensee, got verified and certified by the SLDC and separately for each AC transmission system and grouped according to sharing of transmission charges.
2. TAFM, in percent, shall be equal to $(100 - 100 \times \text{NAFM})$, where NAFM is the non-availability factor in per unit for the month, for the transmission system / sub- system.
3. NAFM for A.C. systems / sub-systems shall be calculated as follows :

$$\text{NAFM} = \left[\sum_{l=1}^L (\text{OH}_l \times \text{Ckt km}_l \times \text{NSC}_l) + \sum_{t=1}^T (\text{OH}_t \times \text{MVA}_t \times 2.5) \right. \\ \left. + \sum_{r=1}^R (\text{OH}_r \times \text{MVAR}_r \times 4) \right] \div \text{THM} \times \left[\sum_{l=1}^L (\text{Ckt km}_l \times \text{NSC}_l) \right. \\ \left. + \sum_{t=1}^T (\text{MVA}_t \times 2.5) + \sum_{r=1}^R (\text{MVAR}_r \times 4) \right]$$

Where

- l identifies a transmission line circuit
t identifies a transformer / Inter connecting transformer (ICT)
r identifies a bus reactor, switchable line reactor or Static VAR Compensation(SVC)
L = total number of line circuits
T = total number of transformers and ICTs
R = total number of bus reactors, switchable line reactors and SVCs
OH = Outage hours or hours of non-availability in the month, excluding the duration of outages not attributable to the Transmission Licensee, if any, as per clause (5).
Cktkm = Length of a transmission line circuit in km
NSC = Number of sub-conductors per phase
MVA = MVA rating of a transformer / ICT

MVAR = MVAR rating of a bus reactor, switchable line reactor or an SVC (in which case it would be the sum of inductive and capacitive capabilities).

THM = Total hours in the month.

4. The transmission elements under outage due to following reasons shall be deemed to be available:
 - i) Shut down availed for maintenance or construction of elements of another transmission scheme. If the other transmission scheme belongs to the Transmission Licensee, the SLDC may restrict the deemed availability period to that considered reasonable by him for the work involved.
 - ii) Switching off of a transmission line to restrict over voltage and manual tripping of switched reactors as per the directions of SLDC.
5. Outage time of transmission elements for the following contingencies shall be excluded from the total time of the element under period of consideration.
 - i) Outage of elements due to acts of God and force majeure events beyond the control of the Transmission Licensee. However, onus of satisfying the SLDC that element outage was due to aforesaid events and not due to design failure shall rest with the Transmission Licensee. A reasonable restoration time for the element shall be considered by SLDC and any additional time taken by the Transmission Licensee for restoration of the element beyond the reasonable time shall be treated as outage time attributable to the Transmission Licensee. SLDC may consult the Transmission Licensee or any expert for estimation of reasonable restoration time. Circuits restored through ERS (Emergency Restoration System) shall be considered as available.
 - ii) Outage caused by grid incident/disturbance not attributable to the Transmission Licensee, e.g. faults in substation or bays owned by other agency causing outage of the Transmission Licensee's elements, and tripping of lines, ICTs, etc. due to grid disturbance. However, if the element is not restored on receipt of direction from SLDC while normalizing the system following grid incident/disturbance within reasonable time, the element will be considered not available for the period of outage after issuance of SLDC's direction for restoration.

अन्तिम नियम

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2012

क्र. एफ-5 (ए)-15-2005-ई-चार.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1965 में, मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित वित्त विभाग का अधिनियम क्रमांक एफ-5 (ए)-15-2005, भोपाल, दिनांक 21 जून, 2012 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

नियम 10 में खण्ड ख शैक्षणिक अर्हता (2) में निम्नानुसार और आई.सी. डब्ल्यू.ए. (इंटर) के बाद/कंपनी सेक्रेटरी (इन्टर) की परीक्षा उत्तीर्ण हो स्थापित किया जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मिलिन्द वाईकर, उपसचिव.